RAJASTHAN - DUNGARPUR

FOR REFERENCE ONLY

# प्राथमिक विद्यालयों में संसाधन

मनोज शर्मा
मोहनलाल भट्ट

शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग

जिला शिक्षा एवं
प्रशिक्षण संस्थान
डूंगरपुर (राज:)

-54412
372
SHA-P

शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डूंगरपुर

NIEPA DC
D08772

# आमुख

सन् 1947 तक डूंगरपुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या मात्र 66 थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती गई एवं छोटे-छोटे गावों में प्राथमिक विद्यालय खोले गये। वर्तमान में इस जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 701 है जिसमें निजी विद्यालयों की संख्या भी सम्मिलित है। संख्यात्मक दृष्टि से हुई वृद्धि प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मकता को बनाए रखने में कितनी सफल रही यह जानना उत्सुकता का विषय है। राज्य सरकार द्वारा गुणात्मकता वृद्धि हेतु आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना भी प्रारम्भ की गई।

इस योजना की क्रियान्विति के उपरान्त प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है इसकी जानकारी के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डूंगरपुर ने प्रथम कदम उठाया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन इसी दिशा में उठाये गए कदम की परिणति

संस्थान के शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग के वरिष्ठ व्याख्याता श्री मनोज शर्मा ने इस अध्ययन को अपने अथक परिश्रम से पूर्ण किया है। अध्ययन कार्य में पूर्व सहयोगी श्री चन्द्रकान्त वसोटा एवं श्री लालशंकर पण्ड्या व्याख्याता तथा वर्तमान सहयोगी श्री मोहनलाल भट्ट, व्याख्याता का भी इस कार्य में प्रशंसनीय सहयोग प्राप्त हुआ है।

आशा ही नही अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस अध्ययन के निष्कर्ष जिले के प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत समितियों एवं शिक्षा प्रेमियों हेतु उपयोगी सिद्ध होंगे।

दिनांक 11, सितम्बर 1991

विद्या पानेरी
प्रधानाचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
डूंगरपुर (राज0)

## आभार

शैक्षिक समस्याओं को लेकर स्वतंत्र रूप से चिंतन करना, अध्ययन करना एवं तर्कसंगत समाधान खोजना शिक्षा जगत का प्रमुख कार्य है । राजस्थान के प्रत्येक जिले में इसी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है । जिले में सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना संस्थान के प्रमुख कार्यों में से एक है । जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डूंगरपुर उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने स्थापना समय से ही प्रयत्नशील है ।

विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धि शिक्षा के गुणात्मक विकास में बहुत अधिक सहयोगी होती है । डूंगरपुर जिले में स्थित विद्यालयों में मानवीय संसाधनों एवं भौतिक सुविधाओं की आपूर्ति किस सीमा तक हुई है इस विषय पर अध्ययन हेतु संस्थान के निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉ० वी०एस० शर्मा द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई । तदनुरूप जिले के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धि की वस्तुस्थिति का स्थिति-परक अध्ययन का महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लिया गया ।

अध्ययन कार्य डॉ० वी०एस० शर्मा की अनवरत प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से ही पूर्ण हो सका है । इस हेतु मैं संस्थान के निवर्तमान प्रधानाचार्य का आभारी हूँ ।

अध्ययन कार्य के संपादन एवं प्रकाशन में संस्थान की प्रधानाचार्या आदरणीया श्रीमती विद्या पानेरी से अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ एवं काम फलीभूत हुआ । इस हेतु मैं संस्थान की प्रधानाचार्या श्रीमती विद्या पानेरी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ ।

अध्ययन हेतु वांछित सूचनाओं को समय पर उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग, डूंगरपुर, पंचायत समितियों के अधिकारियों, क्षेत्र में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिकाओं एवं उनके सहयोगियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ ।

अध्ययन कार्य में मेरे पूर्व सहयोगी श्री चन्द्रकान्त वसीटा एवं श्री लाल शंकर पण्ड्या, व्याख्याता तथा पूरे समय तक कार्य कर अध्ययन को अंतिम चरम तक लाने में श्री मोहन लाल भट्ट, व्याख्याता का सहयोग सराहनीय रहा है ।

संस्थान के उप प्रधानाचार्य श्री सागर मल शाह के समय-समय पर प्राप्त अमूल्य सुझावों एवं सहयोग हेतु उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ । साथ ही श्री श्याम सुन्दर जोशी, निजी सहायक को उनके शुद्ध एवं सुन्दर टंकण कार्य तथा अथक परिश्रम हेतु कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

सितम्बर 11, 1991

मनोज शर्मा
वरिष्ठ व्याख्याता
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
डूंगरपुर (राजस्थान)

## :: अनुक्रमणिका ::


| विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| आमुख | |
| आभार | |
| 1- समस्या अभिज्ञान | 1 |
| 2- अध्ययनोद्देश्य | 1 |
| 3- अध्ययन सीमांकन | 2 |
| 4- न्यादर्श चयन | 2 |
| 5- कार्यविधि | 2 |
| 6- दत्त एकत्रीकरण | 3 |
| 7- दत्त विश्लेषण एवं निर्वचन | 3 |
| (अ) भौतिक परिप्रेक्ष्य | |
| (1) विद्यालयों की दशकवार स्थापना | 3 |
| (2) जनसंख्या एवं विद्यालय | 5 |
| (3) विद्यालयों की पंचायत मुख्यालयों से दूरियाँ एवं बस सुविधाएँ | 6 |
| (4) विद्यालय भवनों एवं खेल के मैदानों की स्थिति | 8 |
| (5) विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्य | 14 |
| (6) विद्यालयों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाएँ | 16 |
| (ब) मानवीय परिप्रेक्ष्य | |
| (1) छात्रों का जाति वार अनुपात | 22 |
| (2) छात्र अध्यापक अनुपात एवं विद्यालय संस्थापन | 24 |
| (3) विद्यालय संगम | 28 |
| (4) विद्यालयों द्वारा प्राप्त जन सहयोग एवं निर्माण कार्य निर्माण कार्य | 28 |
| (5) नामांकन वृद्धि में सहयोगी उत्प्रेरक | 29 |
| सारांश एवं प्रमुख उपपत्तियाँ | 30 |
| परिशिष्ट :- | |
| (1) जिले में कच्चे भवन वाले विद्यालय | 38 |
| (2) पंचायत समितिशः गाँव एवं विद्यालय दूरी | 39 |
| (3) जिले में बिना बाउण्ड्री वाले विद्यालय | 41 |
| (4) जिले में दो-कक्षा कक्षों वाले विद्यालय | 43 |
| (5) विद्यालय सूचना प्रपत्र | 45 |
| (6) सन्दर्भ ग्रन्थ सूची | 50 |

## I समस्या विज्ञान

डूँगरपुर जिला, राजस्थान राज्य के दक्षिण में स्थित है । संपूर्ण जिला गरों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और भू भाग पथरीला है । सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 64 % निवासी अनुसूचित जनजाति के हैं जिनका व्यवसाय दैनिक मज़दूरी करना है । बहुत कम परिवारों के पास खेती की ज़मीन उपलब्ध है एवं ऐसे परिवार खेती भी करते हैं । जीविकोपार्जन के साधन सीमित होने से जनजाति क्षेत्र के परिवार गरीब हैं । घर के छोटे एवं बड़े सदस्य जीविकोपार्जन में लगे होने के कारण अपने बालकों को विद्यालय में नहीं भेज पाते हैं । अतः शिक्षा के क्षेत्र में यह जिला पिछड़ा ही रहा है ।

वर्तमान में जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 701 है जो सन् 1947 की प्राथमिक विद्यालयों की संख्या से 10 गुणा से भी अधिक है । राज्य सरकार की शिक्षा में प्रसार एवं सबके लिए शिक्षा की नीति के कारण विद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है । संख्या में वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा में गुणात्मक विकास हेतु विद्यालयों को साधन संपन्न बनाना भी आवश्यक है ।

"ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड" कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम मानवीय संसाधनों एवं भौतिक सुविधाओं से युक्त करना था जिसके अन्तर्गत न्यूनतम दो अध्यापकों की नियुक्ति, दो कक्षा-कक्ष एवं एक कार्यालय कक्ष का निर्माण, विद्यालयों को सहायक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना आदि हेतु सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रमुख था । ऐसी स्थिति में जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि किस सीमा तक हुई है, भवनों की स्थिति कैसी है, अध्यापक अनुपात कितना है, विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था कैसी है, जल सुविधा एवं मूत्रालय सुविधा किस प्रकार की है - की जानकारी भी आवश्यक विषय है । इन जानकारियों के आधार पर ही तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है जो कि जिले की भावी योजनाओं हेतु उपयोगी सिद्ध हो सके ।

इस उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डूँगरपुर में प्राथमिक विद्यालयों के संसाधनों के अध्ययन को अपने हाथ में लिया है ।

## II अध्ययनोद्देश्य

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य जनजाति बाहुल्य के इस जिले के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन करना है । बिन्दुवार उद्देश्य निम्नानुसार है -

(1) डूँगरपुर जिले के प्राथमिक विद्यालयों की भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानकारी करना ।

(2) प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्ष, फर्नीचर, श्याम पट्ट आदि उपलब्ध भौतिक सुविधाओं की वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त करना ।

पृष्ठ संख्या 1

(3) प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या, छात्र अध्यापक अनुपात, छात्र-छात्रा अनुपात एवं जाति अनुसार छात्र संख्या की जानकारी प्राप्त करना ।

(4) प्राथमिक विद्यालयों की प्रमुख विशेषताओं एवं समस्याओं को प्रकाश में लाना ।

(5) विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का पंचायत समिति वार तुलनात्मक अध्ययन करना ।

## III अध्ययन सीमांकन

1- अध्ययन को डूँगरपुर जिले की पाँचों पंचायत समितियों को राजकीय, निजी एवं छात्र-छात्रा प्राथमिक विद्यालयों के अध्ययन तक ही सीमित रखा गया है ।

2- विद्यालय सूचना प्रपत्र के सम्बन्ध में 30 सितम्बर 1990 को उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक सुविधाओं का आधार माना गया है ।

## IV न्यादर्श चयन

सर्वेक्षण उपकरण तैयार करने के पश्चात् यह प्रयास किया गया है कि अध्ययन के लिए ऐसे न्यादर्श का चयन किया जाए कि वह न्यादर्श डूँगरपुर जिले के प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व कर सके ।

यह इसलिए भी आवश्यक हो गया था कि जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों को न्यादर्श में शामिल किया जाना संस्थान में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधन-सुविधाओं की सीमाओं के परे था । अतः शोध कार्यों के अन्तर्गत निर्दिष्ट सिद्धान्तों का पालन करते हुए यादृच्छिक विधि के आधार पर प्रतिनिधित्व करने वाले न्यादर्श का चयन करना उपयुक्ततम माना गया ।

वैसे जिले में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 701 है । अमेरिका के नेशनल एजूकेशन एसोसिएशन" में प्रकाशित रोर्बट, वी0 क्रूजई लेखक के स्माल सेम्पल टेक्नीक्स के टेबल से न्यादर्श चयन हेतु प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 250 ली गई ।

## V कार्यविधि

कार्य का प्रारंभ सितम्बर 1990 में सर्वेक्षण उपकरण निर्माण के साथ-साथ किया गया । सर्वेक्षण उपकरण में विद्यालय की स्थापना, भौगोलिक [illegible] [illegible], खेल के मैदान, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ आदि समस्त पक्षों से संबंधित सूचनाओं को समाहित करने का प्रयास किया गया । समस्त सूचनाओं का वर्गीकरण करके विद्यालय सूचना प्रपत्र को 12 प्रमुख बिन्दुओं में विकसित किया गया । विद्यालय सूचना प्रपत्रों को वेतन विवरण केन्द्रों पर संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को वितरित किया गया । प्रपत्रों को पूर्ण करने के पश्चात् संस्थान में तत्काल भिजवा देने का अनुरोध किया गया । विद्यालयों द्वारा प्रेषित सूचनाओं का पंचायत समितिवार संकलन हेतु पूर्व ही में विकसित किए गए प्रपत्रों, मूक सारिणियों में अंकित किया गया । उसके पश्चात् दत्त विश्लेषण एवं निर्वचन का कार्य संपन्न [illegible]

किया गया ।

## VI दत्त एकत्रीकरण

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया कि अध्ययन के अंतर्गत पाँचों पंचायत समितियों में 250 विद्यालयों का चयन किया गया । प्रत्येक पंचायत समिति ... चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को विद्यालय सूचना प्रपत्र वेतन वितरण केन्द्रों पर वितरित किए गए । प्रपत्र देने से पूर्व संस्थान के व्याख्याताओं द्वारा प्रधानाध्यापकों को प्रत्येक बिन्दु में चाही गई सूचनाओं के बारे में ठीक प्रकार से समझाया गया । प्रधानाध्यापकों को प्रपत्र सूचना पूर्ण करके भेजने हेतु एक माह का समय दिया गया । एक माह के अन्दर पंचायत समिति मुख्यालयों पर पहुँचाने के निर्देश भी दिए गए । पंचायत समिति मुख्यालयों से विद्यालय सूचना प्रपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डूँगरपुर में प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गई । पाँच पं.स. में से सागवाड़ा एवं आसपुर से चयनित विद्यालयों में समस्त प्रपत्र समय पर प्राप्त हो गये । शेष तीन पंचायत समितियों के कुछ विद्यालयों से प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए । स्मरण पत्र भिजवाने के उपरान्त भी समस्त चयनित विद्यालयों में से 230 विद्यालयों से ही प्रपत्र प्राप्त हुए । इन्हें पं.स. वार अलग-अलग किया गया तथा दत्त विश्लेषण का कार्य आरम्भ किया गया ।

## VII दत्त विश्लेषण एवं निर्वचन

इस अध्ययन से सम्बद्ध दत्त बहुआयामी होने के कारण यह उपयुक्त माना गया कि समस्त सूचनाओं को दो भागों में विभक्त किया जाए । फलतः एक भाग भौतिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा भाग मानवीय परिप्रेक्ष्य के रूप में लिया गया है । इससे सम्बन्धित विवेचन निम्नानुसार दर्शाया गया है ।

### (अ) भौतिक परिप्रेक्ष्य

विद्यालयों की स्थापना के पश्चात उन्हें वास्तविक स्वरूप में लाने के दो पहलुओं की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है । ये दो पहलू भौतिक एवं मानवीय संसाधनों से सम्बन्धित हैं ।

प्रथम महत्वपूर्ण पहलू के अन्तर्गत विद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ छोटे-छोटे गाँवों में विद्यालयों की उपलब्धता, अच्छे विद्यालय भवन, खेल के मैदानों की समुचित व्यवस्था, आवश्यकतानुसार विद्यालय भवनों में अतिरिक्त निर्माण कार्य एवं अन्य विविध सुविधाएँ प्रमुख हैं ।

सर्वप्रथम इस जिले की पाँचों पंचायत समितियों में दशकवार विद्यालयों की स्थापना का ब्यौरा इस प्रकार है ।

### विद्यालयों की दशाकशः स्थापना

अध्ययन हेतु पाँचों पंचायत समितियों से प्राप्त दत्तों को दशकवार जमाया गया । इस प्रयास का उद्देश्य विद्यालयों की स्थापना से सम्बद्ध दशक वार स्थिति का अध्ययन करना था ।

20 वीं शताब्दि के प्रत्येक दशक में विद्यालयों के स्थापना को दशा... स्थिति इस प्रकार रही:

सारणी संख्या-1

बीसवीं शताब्दी में दशाक्रमा:प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना विषयक स्थिति

| वर्ष | पंचायत समिति | | | | | | | | | | विo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आसपुर | | डूंगरपुर | | सागवाडा | | सीमलवाडा | | बिछीवाडा | | |
| | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | |
| 1921-30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | सात प्रा... |
| 1931-40 | | | | | 1 | | | | | | विद्यालय |
| 1941-50 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | 4 | – | स्थापित |
| 1951-60 | 8 | 2 | 8 | – | 5 | – | 9 | – | 10 | – | सम्बन्ध |
| 1961-70 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | – | 3 | – | 13 | – | सूचना में उप... किया |
| 1971-80 | 14 | – | 12 | – | 10 | – | 19 | 2 | 10 | – | |
| 1981-90 | 19 | 1 | 17 | – | 23 | 3 | 12 | – | 9 | 2 | |
| योग: | 48 | 4 | 45 | 1 | 46 | 3 | 46 | 2 | 46 | 2 | |

- न्यादर्श में लिए गए विद्यालयों मे से इस दशक में किसी भी पंचायत... में एक भी विद्यालयानही खुला

सारणी से स्पष्ट है कि:न्यादर्श में गृहित विद्यालयों में से

- दशक 1921-30 के अंत तक किसी भी पंचायत समिति में कोई भी विद्यालय नहीं खोला गया।
- दशक 1981-90 में प्रत्येक पंचायत समिति में अधिकतम विद्यालयों... हुई।
- दशक 1981-90 में ही पंचायत सिमिति सागवाडा में 26 प्राथमिक... की स्थापना हुई जो कि पांचों पंचायत समितियों में अधिकतम है।
- दशक 1931-40 में सन् 1936 में पंचायत समिति सागवाडा के ग्राम... में प्रथम प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई।

जिले में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व एवं पश्चात स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है

सारणी संख्या-2

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व एवं पश्चात स्थापित प्राथमिक

| क्र०सं | पंचायत समिति | प्राथमिक विद्यालयों का स्थापना प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| | | स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व | स्वतन्त्रता प्राप्ति से... |
| | आसपुर | 2·0 | 98·1 |
| | डूंगरपुर | 4·2 | 96·0 |
| | सागवाडा | 2·0 | 85·4 |
| | सीमलवाडा | 2·0 | 97·8 |
| | बिछीवाडा | – | 97·6 |
| | पूर्ण जिला | 1·6 | 95·6 |

* स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रत्येक पंचायत समिति में लगभग 2 से 4 % विद्यालय स्थापित थे ।
* न्यादर्श में गृहीत विद्यालयों में से पंचायत समिति बिछीवाड़ा में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व विद्यालयों की स्थापना नहीं हुई थी ।
* समस्त पंचायत समितियों में 85 % से अधिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुई ।
* न्यादर्श में गृहीत विद्यालयों के आधार पर डूँगरपुर जिले में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1.6 % प्राथमिक विद्यालयों एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 95.6 % विद्यालय स्थापित हुए ।

## जनसंख्या एवं विद्यालय

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय स्थापना के लिए गाँव की जनसंख्या को भी आधार बनाया जाता है । निम्नांकित तालिका पंचायत समितिवार छात्र/छात्रा प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता एवं उस स्थान से सम्बन्धित न्यूनतम जनसंख्या दर्शाती है ।

### तालिका संख्या-3

गाँव की न्यूनतम जनसंख्या जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है

| क्र0सं0 | पंचायत समिति | न्यूनतम जनसंख्या जिस पर छात्र प्रा0वि0 उपलब्ध है (ग्रामीण क्षेत्र) | न्यूनतम जनसंख्या जिस पर छात्रा प्रा0वि0उपलब्ध है (ग्रामीण क्षेत्र) |
|---|---|---|---|
| 1- | आसपुर | 250 | 890 |
| 2- | डूँगरपुर | 206 | - |
| 3- | सागवाड़ा | 151 | 1250 |
| 4- | तीमलवाड़ा | 250 | 1542 |
| 5- | बिछीवाड़ा | 200 | 1330 |

तालिका से यह स्पष्ट है कि -

* सागवाड़ा पंचायत समिति में 151 की जनसंख्या के गाँव में भी प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है, जबकि शेष चारों पंचायत समितियों में 200 या इससे अधिक जनसंख्या के गाँवों में छात्र प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है ।
* छात्रा प्राथमिक विद्यालय न्यूनतम 890 की जनसंख्या वाले गाँव में उपलब्ध है । यह गाँव आसपुर पंचायत समिति में वोड़ीगामा बड़ा है ।

गाँवों में कई परिवार लड़कियों को छात्र विद्यालयों में भेजना पसंद नहीं करते हैं । अतः छात्रा प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना 890 से कम जनसंख्या गाँवों में होना अपेक्षित है ताकि महिला साक्षरता में भी वृद्धि हो सके ।

## विद्यालयों की पंचायत मुख्यालय से दूरियाँ

भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन में लिए गए विद्यालयों में से 7 % विद्या.. .री क्षेत्र में एवं 93 % विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ये विद्यालय पंचायत ..ालय एवं तहसील मुख्यालय से भिन्न-भिन्न दूरियों पर स्थित हैं। तहसील ..ालय एवं पंचायत मुख्यालय की विभिन्न परिधियों में स्थित विद्यालयों का ..ाव उस क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार पर होता है। निम्नांकित सारिणी में ..ेक पंचायत समिति में पंचायत मुख्यालय से अधिकतम दूरी पर स्थित विद्यालयों .. नाम दिए गए हैं।

### सारिणी संख्या- 4

पंचायत मुख्यालय से अधिकतम दूरी पर स्थित विद्यालय

| क्र०सं० | पंचायत समिति | पंचायत मुख्यालय | पंचायत मुख्यालय से अधिकतम दूरी जिस पर विद्यालय स्थित है | विद्यालय का नाम (प्राथमिक विद्यालय) |
|---|---|---|---|---|
| 1- | आसपुर | हुँजपुर | 8 किमी | गोठ महूड़ी |
| 2- | डूँगरपुर | डूँगराफला | 10 किमी | डूँगरावीरफला |
| 3- | सागवाड़ा | ओबरी | 10 किमी | सुरमणा |
| 4- | सीमलवाड़ा | धुवेड़ | 10 किमी | नागरिया |
| 5- | बिछीवाड़ा | पाल देवल | 10 किमी | कण्डूला |

सारिणी से स्पष्ट है कि :

* आसपुर पंचायत समिति में कम से कम एक विद्यालय ऐसा है जो पंचायत मुख्यालय से 8 किमी दूरी पर स्थित है।
* पंचायत समिति डूँगरपुर, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा एवं बिछीवाड़ा में कम से कम एक विद्यालय ऐसा है जो पंचायत समिति मुख्यालय से 10 किमी की दूरी पर स्थित है।
* पंचायत मुख्यालय से 8 से 10 किमी की दूरी से भी अधिक दूरी पर गाँव हो सकते हैं जिनमें प्राथमिक विद्यालय नहीं हों। ऐसे पंचायत मुख्यालय से दूरस्थ गाँवों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए।

यह भी संभव है कि 10 किमी से कम दूरी के भी कई ऐसे गाँव हों जिनमें प्राथमिक विद्यालय न हों। अत: 8 से 10 किमी से दूर के एवं पास के गाँवों में प्राथमिक विद्यालय आवश्यकतानुसार स्थापित किए जाने चाहिए।

विद्यालयों में पहुँचने के लिए बस सुविधा की उपलब्धता एक प्राथमिक आवश्यकता है । किन्तु कई गाँवों में पहुँच हेतु बस सुविधा उपलब्ध नहीं है । निम्नांकित सारिणी में ऐसे विद्यालयों का प्रतिशत दर्शाया गया है जहाँ पहुँच हेतु बस सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं :-

सारिणी संख्या- 5

पंचायत समितिवार बस सुविधा उपलब्ध नहीं होने वाले विद्यालयों का प्रतिशत

| क्र0सं0 | पंचायत समिति | बस सुविधा उपलब्ध नहीं होने वाले विद्यालयों का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1- | आसपुर | 50.0 |
| 2- | डूँगरपुर | 56.5 |
| 3- | सागवाड़ा | 50.0 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 56.1 |
| 5- | बिछीवाड़ा | 50.0 |
| योग | जिला डूँगरपुर | 51.2 |

सारिणी से स्पष्ट है कि -

- समस्त पंचायत समितियों में 50 % से अधिक प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पहुँच हेतु बस सुविधा उपलब्ध नहीं है ।
- पंचायत समिति डूँगरपुर के 56.5 % विद्यालयों में पहुँच हेतु बस सुविधाउपलब्ध नहीं है । यह प्रतिशत पाँचों पंचायत समितियों में सर्वाधिक है ।
- पंचायत समिति आसपुर, सागवाड़ा एवं बिछीवाड़ा में 50.0 % विद्यालयों में पहुँच हेतु बस सुविधा उपलब्ध नहीं है जो न्यूनतम है ।
- न्यादर्श में लिए गए विद्यालयों से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार पूरे जिले में 51.2 % विद्यालयों में पहुँच हेतु बस सुविधा नहीं है । ऐसे विद्यालयों की सूची जहाँ पहुँच हेतु बस सुविधाएँ नहीं हैं परिशिष्ट संख्या II पर संलग्न है ।

चूँकि आधे से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में पहुँच हेतु बस सुविधा नहीं है अतः ऐसे विद्यालयों में पहुँच हेतु एक ही विकल्प है और वह है पैदल मार्ग । पहुँच प्राथमिक विद्यालयों में पहुँच हेतु विभिन्न पैदल दूरियाँ तय करनी होती है । निम्नांकित सारिणी में प्रत्येक पंचायत समिति में पैदल मार्ग से विद्यालय पहुँचने हेतु अधिकतम दूरी दी गई है ।

सारिणी संख्या - 6

पंचायत समितिवार विद्यालय पहुँचने हेतु पैदल मार्ग की अधिकतम दूरी

| क्र0सं0 | पंचायत समिति | पैदल मार्ग की अधिकतम दूरी | विद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| 1- | आसपुर | 10 किमी | प्राथमिक विद्यालय, ओड़ा |
| 2- | डूँगरपुर | 12 किमी | प्राथमिक विद्यालय, छेला, खेर |
| 3- | सागवाड़ा | 10 किमी | प्राथमिक विद्यालय, मटूपेड़ |
| 4- | सीमलवाड़ा | 3 किमी | प्राथमिक विद्यालय, दाद |
| 5- | बिछीवाड़ा | 10 किमी | प्राथमिक विद्यालय, कंडूला |

सारिणी से स्पष्ट है कि चार पंचायत समितियों में से ऐसे दुर्गम स्थान भी हैं जहाँ के विद्यालयों तक पहुँचने हेतु 10 से 12 किमी तक की पैदल यात्रा करनी होती है ।

विद्यालय भवनों एवं खेल के मैदानों की स्थिति

विद्यालयों की प्राथमिक आवश्यकता उनके लिए निर्मित किए गए भवन हैं । पंचायत समितिवार प्राथमिक विद्यालयों के भवन कच्चे अथवा पक्के अथवा आंशिक कच्चे या पक्के हैं का ब्यौरा निम्नांकित सारिणी में प्रदर्शित किया गया है ।

सारिणी संख्या- 7

पंचायत समितिवार विद्यालयों की स्थिति (प्रतिशत में)

| क्र0सं0 | पंचायत समिति | विद्यालय भवनों की स्थिति | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कच्चे | पक्के | आंशिक कच्चे/पक्के |
| 1- | आसपुर | 15.2 | 65.2 | 19.5 |
| 2- | डूँगरपुर | 21.4 | 45.2 | 33.3 |
| 3- | सागवाड़ा | 18.2 | 47.3 | 34.5 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 8.1 | 51.0 | 40.0 |
| 5- | बिछीवाड़ा | 20.8 | 33.3 | 45.8 |
| योग- | जिला डूँगरपुर | 19.2 | 44.4 | 36.4 |

सारिणी से स्पष्ट है कि -

* पंचायत समिति आसपुर में अधिकतम 65.2 % विद्यालयों के भवन पक्के हैं ।
* पंचायत समिति बिछीवाड़ा में मात्र 33.3 % भवन ही पक्के हैं । यह प्रतिशत समस्त पंचायत समितियों में न्यूनतम है ।

* डूँगरपुर पंचायत समिति में सर्वाधिक 21.4 % प्राथमिक विद्यालय भवन कच्चे हैं ।
* न्यादर्श में लिए गए विद्यालयों से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि डूँगरपुर जिले में 19.2 % विद्यालय कच्चे, 36.4 % विद्यालय आंशिक कच्चे पक्के एवं 44.4 % विद्यालय भवन पक्के हैं । जिले के प्राथमिक विद्यालयों के कच्चे भवनों की सूची परिशिष्ट I पर संलग्न है ।

इन भवनों में से भवन या तो राजकीय हैं या किराये के हैं । कुछ भवन दान दाताओं द्वारा भी दिए गए हैं । इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी निम्नांकित सारिणी से स्पष्ट होती है ।

सारिणी संख्या- 8

पंचायत समितिवार भवनों का प्रकार

| क्र.सं० | पंचायत समिति | भवनों का प्रकार एवं किराया | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजकीय भवन | दानदाता द्वारा दिए गए भवन | किराये के भवन | किराया अधिकतम | किराया न्यूनतम |
| 1- | आसपुर | 97.8 % | 2.2 % | - | - | - |
| 2- | डूँगरपुर | 79.0 % | - | 21.4% | रु0999/- | रु0 167/- |
| 3- | सागवाड़ा | 87.2 % | - | 12.7 % | रु0405/- | रु0 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 100.0 % | - | - | - | - |
| 5- | पिछोवाड़ा | 92.3 % | 7.7 % | - | - | - |

सारिणी से स्पष्ट है कि -

* सभी पंचायत समितियों में अधिकांश विद्यालयों के भवन राजकीय हैं ।
* पंचायत समिति सीमलवाड़ा के समस्त विद्यालय भवन राजकीय हैं
* दो पंचायत समितियाँ पिछोवाड़ा एवं आसपुर ऐसी हैं जिनमें क्रमशः 7.7 % एवं 2.2 % भवन दानदाताओं द्वारा दिए गए हैं ।
* दो पंचायत समितियाँ डूँगरपुर एवं सागवाड़ा ऐसी हैं जिनमें क्रमशः 21.4 % एवं 04.6 % विद्यालय भवन किराये पर हैं
* पंचायत समिति डूँगरपुर के एक विद्यालय भवन का प्रतिमाह रु0 999/- है जो कि अधिकतम है । इसी पंचायत समिति अन्य भवन का किराया रु0 167/- है जो कि न्यूनतम है ।

पंचायत समिति सागवाड़ा के एक विद्यालय का किराया रु0 405/- है कि अधिकतम है एवं एक अन्य भवन का किराया रु0 20/- है जो न्यूनतम है अधिकांश विद्यालयों के भवन राजकीय हैं । इन भवनों के चारों ओर बाउण्ड्री है या नहीं यह भी जानने योग्य है । निम्नांकित तालिका में पंचायत समिति बाउण्ड्री एवं बिना बाउण्ड्री के विद्यालय भवनों का प्रतिशत दर्शाया गया है

## सारिणी संख्या- 9

पंचायत समितिश: बाउण्ड्री एवं बिना बाउण्ड्री के भवन

| क्र०सं० | पंचायत समिति | पंचायत समितिवार: विद्यालय भवन तथा बाउण्ड्री | | बाउण्ड्री प्रतिशत में प्रकार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नहीं है | है | बाड़ की | पत्थर की | तार की |
| 1- | आसपुर | 54 % | 46 % | 69.5 | 30.4 | - |
| 2- | डूँगरपुर | 74.3 % | 25.5 % | 49.5 | 40.2 | [illegible] |
| 3- | सागवाड़ा | 50.6 % | 43.7 % | 58.7 | 43.3 | - |
| 4- | सीमलवाड़ा | 81.2 % | 19.0 % | 10.8 | 88.5 | - |
| 5- | बिछीवाड़ा | 55.3 % | 44.6 % | - | 100 | - |
| | डूँगरपुर जिला | 64.2 % | 36.0 % | 35.2 | 62.7 | 1.1 |

सारिणी से ज्ञात होता है कि -

- पाँचों पंचायत समितियों के 50 % से भी अधिक विद्यालयों में बाउण्ड्री नहीं है ।
- पंचायत समिति सीमलवाड़ा के सर्वाधिक 81.2 % विद्यालयों की बाउण्ड्री नहीं है । जबकि पंचायत समिति डूँगरपुर के 74.4 % पंचायत समिति बिछीवाड़ा के 55.3 %, आसपुर के 54 % एवं सागवाड़ा के 50.6 % विद्यालयों में बाउण्ड्री नहीं है ।
- पंचायत समिति बिछीवाड़ा के 44.6 % विद्यालयों में बाउण्ड्री है । इन सभी विद्यालयों की बाउण्ड्री पत्थर की बनी हुई है ।
- न्यादर्श में लिए गए विद्यालयों के आधार के अनुसार डूँगरपुर जिले के 64.2 % विद्यालय भवनों की बाउण्ड्री नहीं है । सूची परिशिष्ट संख्या III में संलग्न है ।
- जिले के 36 % विद्यालयों में बाउण्ड्री है । इनमें से 62.7 % बाउण्ड्री पत्थर की, 35.2 % बाउण्ड्री बाड़ की एवं 1.1 % बाउण्ड्री तार की है ।

भवनों की सुविधा के अंतर्गत कक्षा - कक्षों की उपलब्धता भी एक प्र... ...रक है । निम्नांकित सारिणी में पंचायत समितिवार कक्षा-कक्षों की सं... ... विद्यालयों का प्रतिशत दर्शाया गया है ।

## सारिणी संख्या- 10

पंचायत समितिवार कक्षा-कक्षों की संख्या एवं विद्यालयों का प्रतिशत

| क्र0 | पंचायत समिति | विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें कक्षा-कक्षों की संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एक कक्षा | दो कक्ष | तीन कक्ष | चार कक्ष | पाँच कक्ष | छः क |
| 1- | आसपुर | 10 | 56 | 12 | 06 | 08 | - |
| 2- | डूँगरपुर | 20.4 | 41 | 16.2 | 16.2 | 04.6 | - |
| 3- | सागवाड़ा | 9.8 | 61.2 | 11.9 | 6.8 | 4.7 | 04.0 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 25.6 | 35.8 | 25.6 | 10.2 | 02.5 | 02.6 |
| 5- | बिछीवाड़ा | 36.7 | 48.7 | 9.7 | 7.3 | - | 02.2 |
| | डूँगरपुर जिला | - | 42 % | - | - | - | - |

सारिणी से स्पष्ट है कि -

* पंचायत समितियों में 36 % से 61 % विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कक्षा-कक्षों की संख्या मात्र 2 । अतः अधिकांश विद्यालयों में 2 कक्षा-कक्ष ही हैं, जो कि खेद जनक स्थिति का द्योतक है । दो कक्षा-कक्षों के विद्यालयों की सूची परिशिष्ट IV में संलग्न है ।
* जिले की तीन पंचायत समितियों सागवाड़ा, सीमलवाड़ा एवं बिछीवाड़ा के केवल 2.2 % से 4.0 % विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कक्षा कक्षों की संख्या 6 है ।
* जिले में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें वर्तमान में कुछ कारणों से कक्षा-कक्षों की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है । जैसे पंचायत समिति डूँगरपुर में प्राथमिक विद्यालय डूँगरफला (तुराता) का भवन निर्माणाधीन होने से वर्तमान में एक भी कक्षा कक्षा उपलब्ध नहीं है ।
* पंचायत समिति बिछीवाड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय वीरपुर में समस्त भवन जर्जर हो गया है एवं कक्षा-कक्षों हेतु कमरे उपयोग में नहीं आ रहे हैं ।
* पंचायत समिति सागवाड़ा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नं06 (हरिजन बस्ती) का भवन उपलब्ध नहीं होने से वर्तमान में यह विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय नं01 सागवाड़ा में चल रहा है ।

कक्षा-कक्षों की उपलब्धता के साथ ही साथ इन कमरों की छतों के बारे में जानकारी भी आवश्यक है । पंचायत समितिवार प्राथमिक विद्यालयों में छतों की स्थिति निम्नांकित सारिणी में दर्शायी गई है ।

तालिका संख्या- 11

पंचायत समितिवार विभिन्न प्रकार की छतों वाले विद्यालयों का प्रतिशत

| क्र0सं0 | पंचायत समिति | विद्यालयों में भवनों की स्थिति (प्रतिशत) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पक्की | टिनशेड | खपरैल | पानी टपकता है |
| 1- | आसपुर | 86 | 05 | 08 | 88 |
| 2- | डूँगरपुर | 67.4 | 9.3 | 23.2 | 81.4 |
| 3- | सागवाड़ा | 82.2 | 2.3 | 15.4 | 79.5 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 70.4 | 6.6 | 22.0 | 86.2 |
| 5- | पिछीवाड़ा | 65.4 | 5.4 | 28.5 | 92.7 |

तालिका से स्पष्ट है कि 65 % से 86 % विद्यालयों के भवनों में पक्की छतें हैं ।

* पक्की छतें होते हुए भी अधिकांश विद्यालयों की छतें टपकती हैं । पंचायत समिति सागवाड़ा में न्यूनतम 79 % छतें टपकती हैं । पंचायत समिति पिछीवाड़ा में सर्वाधिक 92.7 % विद्यालयों की छतें टपकती हैं । अतः वर्षा ऋतु में छात्रों के अध्ययन में बाधा उपस्थित होती है ।
* बहुत कम विद्यालयों में छतें टिन शेड की बनी हुई हैं । पंचायत समिति डूँगरपुर में 9.3 % प्राथमिक विद्यालय की छतें टिन शेड की बनी हुई हैं । यह संख्या समस्त पंचायत समितियों में पाई गई है ।
* खपरैल की छतों की अधिकतम संख्या पिछीवाड़ा पंचायत समिति के विद्यालयों में है जिनका कि प्रतिशत 28.5 है ।

विद्यालय भवन की छतों के साथ-साथ भवन के बरामदों की उपलब्धता की स्थिति भी जानने का प्रयास किया गया । बरामदों की उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शायी गई है :-

तालिका संख्या-12

पंचायत समितिवार: विद्यालय भवनों में बरामदों की उपलब्धता

(प्रतिशत)

| क्र0सं0 | पंचायत समिति | विद्यालयों का प्रतिशत में बरामदा | |
|---|---|---|---|
| | | उपलब्ध है | उपलब्ध नहीं है |
| 1- | डूँगरपुर | 59.5 | 40.4 |
| 2- | सागवाड़ा | 48.7 | 51.2 |
| 3- | आसपुर | 54.0 | 46.0 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 64.7 | 35.4 |
| 5- | पिछीवाड़ा | 55.3 | 44.7 |
| | डूँगरपुर जिला | 55.2 | 44.8 |

सारिणी से स्पष्ट है कि -

* पंचायत समिति सीमलवा[illegible] में सर्वाधिक 64.7 % विद्यालयों में बरामदे उपलब्ध हैं, जबकि पंचायत समिति सागवाड़ा में न्यूनतम 48.7 % विद्यालयों में [illegible]रामदे उपलब्ध हैं ।
* न्यादर्श में लिए गए वि[illegible]ालयों से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसा[illegible] जिले के 55.2 विद्यालयों में बरामदा उपलब्ध है एवं 44.8 विद्यालयों में बरामदा उपलब्ध नहीं है ।

विद्यालयों में छात्रों के सर्वांगी[illegible] विकास के अन्तर्गत शारीरिक [illegible] खेल-कूद की सुविधा होना भी आवश्यक है । इस हेतु विद्यालयों में खेल के [illegible]नों की उपलब्धता का भी अध्ययन [illegible] गया । निम्नांकित सारिणी में [illegible] के मैदानों की उपलब्धता दर्शायी गई है ।

सारिणी संख्या- 13

पंचायत समितिवार खेल के मैदानों की उपलब्धता

(प्रतिशत में)

| [illegible]सं0 | पंचायत समिति | विद्या[illegible] में खेल - मैदान | |
|---|---|---|---|
| | | उपलब्ध है | उपलब्ध नहीं है |
| 1- | आसपुर | 40 | 60 |
| 2- | डूँगरपुर | 47.6 | 52.4 |
| 3- | सागवाड़ा | 62.5 | 37.4 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 61.12 | 38.88 |
| 5- | बिछीवाड़ा | 95.74 | 4.25 |
| | डूँगरपुर जिला | 79.2 | 20.8 |

सारिणी से यह निष्कर्ष निकलता है कि --

* पंचायत समिति बिछीवा[illegible] में सर्वाधिक 95.7 % विद्यालयों[illegible] खेल के मैदान हैं, जबकि पंचायत समिति आसपुर में न्यूनतम 40 [illegible] विद्यालयों में खेल के मैदान हैं ।
* न्यादर्श में लिए गए वि[illegible]ालयों में से पूरे जिले के 79.2 % विद्यालयों में खेल के मैदान उपलब्ध हैं । ये खेल के मैदान विद्या[illegible]लय के आगे या आसपास की भूमि पर हैं जिनमें खो-खो, कबड्डी वालीबॉल आदि खेल खेले जाते हैं । विद्यालयों के लिए [illegible] मैदानों हेतु गांवों में भूमि उपलब्ध है या नहीं इस हेतु जान[illegible] का प्रयास सूचना प्रपत्र के माध्यम से किया गया था । प्राप्त सूचनाएं अस्पष्ट होने से [illegible]ष्ट तस्वीर सामने उभर कर नहीं आ[illegible] अतः इस अध्ययन में उद्धृत नहीं की गई हैं ।

विद्यालय भवन एवं भूमि को [illegible]द्यालय खाते में रजिस्ट्री द्वारा [illegible] जाता है । उसी स्थिति में उस भूमि [illegible] विद्यालय का स्वामित्व माना [illegible] इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग समय-सम[illegible] पर निर्देश भी जारी करता है । [illegible] सम्बन्ध में प्राथमिक विद्यालयों के भूमि [illegible] स्वामित्व की स्थिति इसप्रकार [illegible]

सारिणी संख्या- 14

पंचायत समितिवार विद्यालय भूमि के स्वामित्व की स्थिति

(प्रतिशत में)

| सं0 | पंचायत समिति | विद्यालय का खाते में इन्द्राज | |
|---|---|---|---|
| | | है | नहीं |
| [illegible] | आसपुर | 52.0 | 48.0 |
| [illegible] | डूंगरपुर | 41.9 | 58.1 |
| [illegible] | सागवाड़ा | 48.7 | 51.3 |
| [illegible] | सीमलवाड़ा | 37.7 | 62.3 |
| 5- | बिछीवाड़ा | 51.1 | 48.9 |
| | डूंगरपुर जिला | 46.2 | 53.8 |

सारिणी से स्पष्ट है कि -

* पंचायत समिति आसपुर के 52 % विद्यालयों की भूमि वि[illegible] खातों में अंकित है । य[illegible] प्रतिशत पाँचों पंचायत समितियो[illegible] अधिकतम है ।
* पंचायत समिति सीमल[illegible] के 37.7 % विद्यालयों की भू[illegible] विद्यालय खातों में [illegible] है । यह प्रतिशत पाँचों पंचायत समितियों में न्यूनतम है ।
* न्यादर्श में लिए गए [illegible]द्यालयों से प्राप्त निष्कर्षों से स्प[illegible] है कि पूरे जिले के 46.2 % विद्यालयों की भूमि विद्याल[illegible] खातों में है जबकि 53.8 प्राथमिक विद्यालयों की भूमि [illegible] में नहीं है ।

विद्यालयों में अधूरे निर्माण कार्य

विद्यालयों के विकास हेतु जन सहयोग द्वारा, पंचायत समितियों [illegible] [illegible] विकास अभिकरणों के माध्यम से भवन निर्माण एवं सुधार के कार्य [illegible] [illegible] लिए जाते हैं । कई कारणों से ये कार्य अधूरे रह जाते हैं । इससे इन [illegible] पर लगी राशि का भी पूर्ण सदुपयोग नहीं होता है । सारिणी सं0-[illegible] पंचायत समितिवार अधूरे कार्यों का विवरण दर्शाया गया है ।

## तालिका संख्या- 15

पंचायत समितिवार: अधूरे निर्माण कार्य

(प्रतिशत में)

| क्र0सं0 | पंचायत समिति | अधूरे निर्माण कार्य | अब तक प्रयुक्त राशि | | अभिकरण |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | अधिकतम | न्यूनतम | |
| 1- | आसपुर | 42.0 | 45000/- रु0 | 5000/- रु0 | पंचायत समिति |
| 2- | डूँगरपुर | 23.2 | 50000/- रु0 | 3000/- रु0 | -,, - |
| 3- | सागवाड़ा | 52.6 | 15000/- रु0 | 2000/- रु0 | -,, - |
| 4- | सीमलवाड़ा | 45.0 | 55000/- रु0 | 5000/- रु0 | -,, - |
| 5- | पिछीवाड़ा | 36.1 | 32000/- रु0 | 4000/- रु0 | -,, - |
| | डूँगरपुर जिला | 36.4 | - | - | -,, - |

तालिका से स्पष्ट है कि -

- पंचायत समिति सागवाड़ा में समस्त पंचायत समितियों में अधिकतम 52.6 % विद्यालयों के निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं ।
- पंचायत समिति डूँगरपुर में न्यूनतम 23.2 % विद्यालयों के निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं ।
- अधूरे कार्यों पर सर्वाधिक राशि रु0 55,000/- पंचायत समिति सीमलवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय सेण्डोला एवं सारणखास में प्रयुक्त हुई है । इसी पंचायत समिति के भयडिया गांव के विद्यालय में रु0 5000/- की न्यूनतम राशि का प्रयोग हुआ है किन्तु कार्य अधूरा है ।
- पंचायत समिति डूँगरपुर के प्राथमिक विद्यालय नं0 2 डूँगरपुर में रु0 50,000/- प्रयुक्त हुए हैं किन्तु कार्य अधूरा है । इसी पंचायत समिति के डूँगराफला प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम रु0 3000/- प्रयुक्त हुआ है एवं कार्य अधूरा है ।
- पंचायत समिति आसपुर में अधिकतम रु0 45000/- प्राथमिक विद्यालय ओड़ा में एवं न्यूनतम रु0 5000/- निहालपुरा में प्रयुक्त हुआ है किन्तु कार्य अधूरा है ।
- पंचायत समिति पिछीवाड़ा में अधिकतम रु0 32,000/- प्राथमिक विद्यालय पुनरावाड़ा पर एवं न्यूनतम रु0 4000/- पादरड़ी में प्रयुक्त हुआ है । कार्य अभी अधूरा है ।
- पंचायत समिति सागवाड़ा में समस्त पंचायत समितियों में न्यूनतम रु0 15000/- प्राथमिक विद्यालय कोनपुर में एवं रु0 2000/- प्राथमिक विद्यालय घाटा का गाँव में प्रयुक्त हुआ ।
  उपरोक्त सभी कार्य पंचायत समिति के माध्यम से हुए ।
- न्यादर्श में लिए गए विद्यालयों से प्राप्त तथ्यों के अनुसार पूरे जिले में 36.4 % विद्यालयों के निर्माण कार्य अधूरे हैं ।

## विद्यालयों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाएँ

ऐसे गाँवों में जहाँ प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं वहाँ बिजली, जल प्रदाय योजना, चिकित्सा सुविधा, टेलीफोन की सुविधा, टी०वी० एवं पोस्ट ऑफिस आदि न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं इसकी जानकारी करना भी आवश्यक है।

निम्नांकित सारिणी पंचायत समितिवार उन गाँवों का प्रतिशत प्रदर्शित करती है जहाँ प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं एवं सुविधाएं उपलब्ध

सारिणी संख्या- 16

पंचायत समितिवार उन गाँवों का प्रतिशत जहाँ सुविधायें उपलब्ध हैं

| क्र. | सुविधाएँ | पंचायत समिति | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आसपुर | डूंगरपुर | सागवाड़ा | सीमलवाड़ा | बिछीवाड़ा |
| 1 | बिजली | 60 % | 48.8 % | 64.4 % | 60.6 % | 59.5 % |
| 2 | जलप्रदाय | 30 % | 23.2 % | 27.3 % | 12.2 % | 12.7 % |
| 3 | चिकित्सा | 34 % | 39.5 % | 39.0 % | 22.4 % | 29.0 % |
| 4 | टेलिफोन | 30 % | 27 % | 27.3 % | 14.5 % | 19.0 % |
| 5 | टी.वी. T.V. | 30 % | 25 % | 27.3 % | 12.4 % | 17.0 % |
| 6 | पोस्ट ऑफिस | 46 % | 41 % | 42.9 % | 32.0 % | 36 |

सारिणी से स्पष्ट है कि -

* पंचायत समिति आसपुर, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा एवं बिछीवाड़ा के लगभग 60 % गाँवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है ।
* पंचायत समिति डूँगरपुर के प्राथमिक विद्यालय वाले गाँवों के 40 % गाँवों में ही बिजली की सुविधा उपलब्ध है । यह प्रतिशत समस्त पंचायत समितियों में न्यूनतम है ।
* पूरे जिले के 52.4 % विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है ।
* पंचायत समिति आसपुर के प्राथमिक विद्यालय वाले सिर्फ 30 % गाँवों में ही जल प्रदाय योजना उपलब्ध है । यह समस्त पंचायत समितियों में अधिकतम है ।
* पंचायत समिति सीमलवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय वाले सिर्फ 12 % गाँवों में जल प्रदाय योजना उपलब्ध है जो कि समस्त पंचायत समितियों में न्यूनतम है ।
* प्राथमिक विद्यालय वाले गाँवों में चिकित्सा सुविधा की स्थिति भी अपर्याप्त ही है । यह सुविधा पंचायत समिति डूँगरपुर में 39 % है तो पंचायत समिति सीमलवाड़ा में 20 % है जो कि समस्त पंचायत समितियों में क्रमश: अधिकतम व न्यूनतम है ।
* टेलीफोन की सुविधा पंचायत समिति आसपुर के 30 % ऐसे गाँवों में उपलब्ध है जहाँ प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं । यह प्रतिशत समस्त पंचायत समितियों में अधिकतम है ।
* टेलीफोन की यह सुविधा सीमलवाड़ा पंचायत समिति के मात्र 12 % गाँवों में ही उपलब्ध है । यह प्रतिशत समस्त पंचायत समितियों में न्यूनतम है ।
* जिले में पंचायत समिति आसपुर के 30 % विद्यालयों में टी०वी० की सुविधा उपलब्ध है जबकि पंचायत समिति सीमलवाड़ा में टी०वी० की सुविधा मात्र 10 % गाँवों में ही उपलब्ध है ।
* पोस्ट ऑफिस जैसी प्राथमिक सुविधा भी जिले की पंचायत समिति के गाँवों में अपर्याप्त ही है । पंचायत समिति आसपुर में जहाँ यह सुविधा 46 % है जो समस्त पंचायत समितियों में अधिकतम है वहीं पंचायत समिति सीमलवाड़ा में यह सुविधा 30 % ही है जो कि न्यूनतम है ।
* पंचायत समितिवार उपलब्ध सुविधाओं के प्रतिशत से यह भी स्पष्ट होता है कि पंचायत समिति सीमलवाड़ा के गाँवों में इन सुविधाओं का उपलब्ध प्रतिशत न्यूनतम है ।
* न्यादर्श में लिए गए विद्यालयों से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पूरे जिले में 19.2 % प्राथमिक विद्यालय वाले गाँवों में जल प्रदाय की सुविधा उपलब्ध है ।
* पूरे जिले में 30 % प्राथमिक विद्यालय वाले गाँवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ।
* पूरे जिले के 21.6 % ऐसे गाँवों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है जहाँ प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं ।
* पूरे जिले में 20.4 % प्राथमिक विद्यालय वाले गाँवों में टी०वी० की सुविधा उपलब्ध है ।

विद्यालयों में जल स्रोत की सु[illegible]धा एवं जल के संग्रह करने की सुविधा निम्नांकित सारिणी से स्पष्ट होती है ।

सारिणी संख्या- 17

पंचायत समितिवार जल सुविधा एवं जल संग्रह सुविधा के विद्यालय

| [illegible]विधा एवं संग्रह सुविधा | | विद्यालयों का प्रतिशत | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पंचायत समिति | | | | | | | | | |
| | | डूंगरपुर | | सागवाड़ा | | आसपुर | | सीमलवाड़ा | | बिछीवाड़ा | |
| | | शहरी | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | शहरी | [illegible] |
| [illegible]ल | | 12.5 | 5.7 | 50.0 | 5.0 | - | 10.0 | - | 2.5 | - | 4.[illegible] |
| [illegible]ऑ | | - | 4.6 | - | 3.[illegible] | - | 6.0 | - | 5.0 | - | 6[illegible] |
| [illegible]ड पंप | | 50.0 | 80.0 | 37.5 | 62.[illegible] | - | 30.0 | - | 42.5 | - | 5[illegible] |
| [illegible] सुविधा नहीं | | - | 20.9 | - | 29.4 | - | 58.0 | - | 55.0 | - | 3[illegible] |
| [illegible] हेतु [illegible] | | 37.4 | 94.2 | 50 | 100 | - | 48.0 | - | 65.0 | - | [illegible] |
| | | 62.5 | 5.7 | 37.5 | 5.0 | - | 10.0 | - | 5.0 | | |

सारिणी से स्पष्ट है कि -

- पंचायत समिति सागवाड़ा के शहरी प्राथमिक विद्यालयों में से 50 % विद्यालयों में नल की सुविधा है जबकि डूँगरपुर शहरी क्षेत्र में मात्र 12.5 % विद्यालयों में ही नल की सुविधा है ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति आसपुर में 10 % प्राथमिक विद्यालयों में नल सु[illegible]धा उपलब्ध है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम है ।
- पंचायत समिति सीमलवाड़ा के मात्र 2.5 % प्राथमिक विद्यालयों में नल सुविधा है जो कि समस्त पंचायत समितियों में न्यूनतम है ।
- पंचायत समिति डूँगरपुर [illegible] 80 % प्राथमिक विद्यालयों में हैण्ड पम्प की सुविधा उपलब्ध है [illegible] कि समस्त पंचायत समितियों में अधिकतम है ।
- पंचायत समिति आसपुर [illegible] 58 %, सीमलवाड़ा के 55 %, बिछीवाड़ा के 36.2 % [illegible] सागवाड़ा के 29.4 % एवं डूँगरपुर के 20.9 % विद्यालयों [illegible] पानी हेतु उपरोक्त तीनों में से कोई भी सुविधा उपलब्ध नह[illegible] ।

* प्राथमिक विद्यालयों में पानी का संग्रह मटकों या टंकियों में किया जा रहा है । पंचायत समिति सागवाड़ा के 50 ✗ शहरी विद्यालयों में पानी का संग्रह मटकों में किया जा रहा है एवं 37.5 ✗ शहरी विद्यालयों में संग्रह टंकियों में किया जा रहा है ।
* पंचायत समिति डूँगरपुर के 62.5 ✗ शहरी विद्यालयों में जल संग्रह टंकियों में हो रहा है जबकि 37.5 ✗ प्राथमिक विद्यालयों में जल संग्रह मटकों में हो रहा है ।
* ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में जल संग्रह मटकों में ही किया जा रहा है ।
* ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतम 10 ✗ प्राथमिक विद्यालयों में ही जल संग्रह हेतु टंकियों की सुविधा उपलब्ध है । ये 10 ✗ विद्यालय पंचायत समिति आसपुर में स्थित है ।

विद्यालयों में मूत्रालय एवं शौचालय जैसी सुविधाएँ प्राथमिक सुविधाओं के अन्तर्गत आती हैं । निम्नांकित सारिणी में इन सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति दर्शाई गई है ।

सारिणी संख्या- 18

पंचायत समितिवार मूत्रालय एवं शौचालय सुविधा उपलब्धी वाले विद्यालय

प्रतिशत में

| क्र0सं0 | पंचायत समिति | मूत्रालय सुविधा | | | शौचालय सुविधा | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | उपलब्ध | अनुपलब्ध | छात्राओं हेतु पृथक | उपलब्ध | अनुपलब्ध |
| 1- | आसपुर | 18.0 | 82.0 | 4.0 | 20.0 | 80.0 |
| 2- | डूँगरपुर | 37.2 | 62.8 | 11.6 | 23.2 | 76.7 |
| 3- | सागवाड़ा | 39.2 | 60.3 | 11.8 | 21.6 | 78.4 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 22.5 | 72.5 | - | 20.0 | 80.0 |
| 5- | चिछीवाड़ा | 14.9 | 35.1 | 8.5 | 6.4 | 93.6 |
| | डूँगरपुर जिला | 20.8 | 79.2 | 7.1 | 16.8 | 83.2 |

सारिणी से स्पष्ट है कि -

* पंचायत समिति सागवाड़ा के 39.2 ✗ प्राथमिक विद्यालयों में मूत्रालय की सुविधा उपलब्ध है जो कि पाँचों पंचायत समितियों में अधिकतम है ।
* पंचायत समिति आसपुर के 82 ✗ प्राथमिक विद्यालयों में मूत्रालय जैसी प्राथमिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं है ।
* न्यादर्श में लिए गए प्राथमिक विद्यालयों से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पूरे जिले के 79.2 ✗ विद्यालयों में मूत्रालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

* पंचायत समिति सागवाड़ा में पूरे जिले में सर्वाधिक 11.8 ✗ प्राथमिक विद्यालयों में छात्राओं हेतु पृथक से सुविधा उपलब्ध है । जबकि पंचायत समिति सीमलवाड़ा में छात्राओं हेतु पृथक से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ।
* पूरे जिले के मात्र 16.8 ✗ प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध है जबकि शेष 83.2 ✗ विद्यालय इस सुविधा से वंचित हैं ।

विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने हेतु दरी पट्टियाँ, अध्यापन हेतु श्याम पट्ट एवं स्टाफ़ हेतु फ़र्नीचर की सुविधा आवश्यक सुविधाओं में आती है । निम्नांकित सारिणी में इन सुविधाओं को प्रदर्शित किया गया है :

सारिणी संख्या- 19

पंचायत समितिवार प्राथमिक विद्यालयों में फ़र्नीचर उपलब्धता की स्थिति

| क्र0सं0 | पंचायत समिति | प्रतिविद्यालय फ़र्नीचर संख्या औसत | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुर्सी | मेज | स्टूल | आलमारी | दरी पट्टियां | जाजम | उपलब्ध | अनुपलब्ध विद्यालय का प्रति |
| 1- | डूँगरपुर | 4 | 3 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 14.0 |
| 2- | सागवाड़ा | 3 | 3 | 2 | 2 | 31 | 2 | 1 | 27.0 |
| 3- | आसपुर | 4 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1 | 10.0 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 27.0 |
| 5- | बिछीवाड़ा | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 15.0 |
| 6- | संपूर्ण जिला | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 19.0 |

सारिणी से स्पष्ट है कि -

* जिले के विद्यालयों में न्यूनतम 3 कुर्सियाँ, 2 मेजें, 1 स्टूल, 1 अ 17 दरी पट्टियाँ, 1 जाजम एवं 1 श्याम पट्ट उपलब्ध हैं ।
* साधारणतया प्राथमिक विद्यालयों में 23 से 31 के बीच में दरी पट्टियाँ उपलब्ध हैं किन्तु पंचायत समिति बिछीवाड़ा में दरी पट्टियों की संख्या मात्र 17 है ।
* श्याम पट्ट प्रत्येक कक्षा-कक्ष की एक आवश्यकता है किन्तु कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक भी श्याम पट्ट उपलब्ध नहीं है । पंचायत समिति आसपुर में ऐसे विद्यालयों का प्रतिशत 10 है जबकि पंचायत समिति बिछीवाड़ा एवं डूँगरपुर में 14 तथा सीमलवाड़ा एवं सागवाड़ा पंचायत समितियों में 27 ✗ प्राथमिक विद्यालयों में श्याम पट्ट उपलब्ध नहीं हैं ।

विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के उपकरण यथा घड़ी, नक्शे, रोल-अप बोर्ड, ग्लोब आदि उपलब्ध रहते हैं । उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति निम्नांकित सारणी में दर्शाई गई है ।

सारणी संख्या- 20

पंचायत समितिवार विद्यालयों का प्रतिशत एवं उपलब्ध उपकरण

| पंचायत समिति | विद्यालयों में उपकरण (प्रतिशत में) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | घंटी | घड़ी | नक्शे | रोलअप बोर्ड | ग्लोब | चरू | ढोलक | रेडियो |
| ...पुर | 82 | 56 | 100 | 100 | 92 | 48 | 96 | - |
| ...पुर | 92 | 30 | 86 | 79 | 86 | 48 | 88.3 | 3.1 |
| ...वाडा | 89 | 25 | 64 | 74 | 11 | 51 | 82 | 3.8 |
| ...मलवाडा | 85 | 25 | 80 | 92.5 | 90 | 17.5 | 76.5 | - |
| बिछीवाडा | 78 | 19 | 70 | 34 | 23 | 10 | 71 | 15 |
| पूर्ण जिला | 85 | 31 | 80 | 75.9 | 60 | 35 | 82 | 4.4 |

सारणी से स्पष्ट है कि -

* घंटी जैसा आवश्यक उपकरण भी कई विद्यालयों में नहीं है । पंचायत समिति बिछीवाड़ा में 78 % विद्यालयों में घंटी है जबकि 22 % विद्यालयों में घंटी भी नहीं है ।
* घड़ी जो कि प्रत्येक विद्यालय हेतु आवश्यक उपकरण है, कई विद्यालयों में नहीं है । पंचायत समिति बिछीवाड़ा के 81 % विद्यालयों में घड़ियाँ नहीं हैं जबकि सागवाड़ा एवं सीमलवाड़ा के 75 % विद्यालयों, डूंगरपुर के 70 % एवं आसपुर के 44 % विद्यालयों में घड़ियाँ नहीं हैं ।

इन सब सुविधाओं के साथ-साथ पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी सुविधा ... विद्यालयों के लिए अति आवश्यक है । अध्ययन में पंचायत समितिवार उन विद्यालयों का प्रतिशत ज्ञात किया गया जिनके पुस्तकालय में 100 तक, 100 से 200 तक, 200 से 500 तक एवं 500 से ज्यादा पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

-पत्रिकाओं जिन विद्यालयों में आती हैं उनका प्रतिशत भी ज्ञात किया निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है :

तालिका संख्या- 21, 22

प्रतिशत

| क्र0सं0 | पंचायत समिति | विद्यालयों के पुस्तकालयों में पुस्तक संख्या | | | | पत्र-पत्रिकाएं मंगवाने वाले विद्यालयों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100तक | 100 से 200 तक | 200 से 500 तक | 500 से अधिक | |
| 1- | आसपुर | 16 | 62 | 12 | 6 | 10 |
| 2- | डूँगरपुर | 22.2 | 49.2 | 24.2 | 4.8 | 18.6 |
| 3- | सागवाड़ा | 22.5 | 43.2 | 22.5 | 9.8 | 5.9 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 31.7 | 56.3 | 9 | 2 | 5 |
| 5- | घाटीवाड़ा | 30.0 | 49.6 | 19.4 | - | 10.6 |

सारणी सं0-21 विद्यालयों पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं

सारणी से स्पष्ट है कि -

- 43 प्रतिशत से 62 प्रतिशत तक विद्यालयों में 100 से 200 पुस्तकें पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं ।
- आसपुर पंचायत समिति के सर्वाधिक 62 प्रतिशत विद्यालय 100 से 200 तक पुस्तकें उपलब्ध हैं ।
- सागवाड़ा पंचायत समिति के न्यूनतम 43.2 % विद्यालयों में 100 से 200 तक पुस्तकें उपलब्ध हैं ।
- आसपुर, डूँगरपुर, सागवाड़ा एवं सीमलवाड़ा पंचायत समिति के विद्यालयों में 500 से अधिक पुस्तकें भी उपलब्ध हैं ।
- पंचायत समिति सागवाड़ा के 9.8 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 500 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं । यह प्रतिशत पंचायत समितियों में सर्वाधिक है ।
- प्राथमिक विद्यालयों में पत्र पत्रिकाओं की संख्या 1 से 4 तक
- पंचायत समिति डूँगरपुर के 18.6 % प्राथमिक विद्यालयों में पत्र पत्रिकाएँ आती हैं । यह प्रतिशत समस्त पंचायत समितियों में अधिकतम है ।
- पंचायत समिति सीमलवाड़ा में न्यूनतम 5 % विद्यालयों में ही पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ।

## मानवीय परिप्रेक्ष्य

विद्यालयों में मानवीय संसाधनों की बहुत महत्ता है । ये संसाधन अध्यापक, छात्र-छात्राएँ एवं सहायक कर्मचारी विद्यालयों को सजीव बनाते हैं ।

भी विद्यालय की गतिशीलता इन्हीं [illegible]धनों पर निर्भर होती है । विद्यालयों के भौतिक साधनों से भी अधिक प्रभाव [illegible]नवीय संसाधनों का होता है । इस [illegible] अध्याय में विद्यालयों के मानवीय संसा[illegible] की स्थिति का अध्ययन किया गया है । अध्याय में जातिवार छात्रों का [illegible]नुपात, [illegible]त्र-अध्यापक अनुपात, विद्यालयों [illegible]ारा प्राप्त जन सहयोग एवं विद्याल[illegible] में नामांकन वृद्धि में सहयोगी [illegible] [illegible] अध्ययन समाविष्ट है ।

## छात्रों का [illegible]तिवार अनुपात

विद्यालयों में सवर्ण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य [illegible]तियों के छात्र अध्ययन हेतु प्रवेश लेते [illegible] । यह जिला जनजाति बाहुल्य का [illegible]जला है अतः विद्यालयों में जनजाति [illegible] छात्रों की संख्या सर्वाधिक है एवं अन्य [illegible]ातियों के छात्रों की संख्या एवं उनका [illegible]नुपात सारणी में दर्शाया गया है ।

### सारणी [illegible]ख्या - 23

जात्यानुसार छात्र [illegible]ख्या एवं अनुपात

| क्र. सं. | पंचायत समिति | छात्र संख्या | | | | अनुपात | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अ.जा. | अ.ज.जा. | स[illegible] | योग | योग छात्र : अ.जा. | योग छात्र : अ.ज.जा. | योग छा. : [illegible] |
| 1 | आसपुर | 412 | 1579 | 2[illegible] | 4213 | 10:1 | 3:1 | 2:[illegible] |
| 2 | डूंगरपुर | 263 | 2809 | 141[illegible] | 4491 | 17:1 | 2:1 | 3:1 |
| [illegible] | सागवाड़ा | 331 | 1937 | 17[illegible]2 | 4020 | 12:1 | 2:1 | 2[illegible] |
| | सीमलवाड़ा | 159 | 2883 | 36[illegible]0 | 6732 | 42:1 | 2:1 | 2[illegible] |
| | बिछीवाड़ा | 504 | 2990 | 1642 | 5136 | 10:1 | 2:1 | 3.[illegible] |
| | जिला डूंगरपुर | 1669 | 12198 | 107[illegible]5 | 24592 | 15:1 | 2:1 | 2.3:[illegible] |

सारणी से स्पष्ट है कि -

* पंचायत समिति आसपुर [illegible] विद्यालय के प्रत्येक तीन छात्रों में से एक छात्र अनुसूचित जनजाति का है ।
* शेष चार पंचायत सम[illegible]ों में विद्यालय के प्रत्येक दो छात्रों [illegible] से एक छात्र अनुसूचित [illegible]ाति का है ।

* पंचायत समिति आसपुर एवं बिछीवाड़ा में प्रत्येक 10 छात्रों पर 1 अनुसूचित जाति का विद्यार्थी है । यह अनुपात समस्त पंचायत समितियों में अधिकतम है ।
* पंचायत समिति सीमलवाड़ा में प्रत्येक 42 छात्रों पर 1 छात्र अनुसूचित जाति का है यह अनुपात समस्त पंचायत समितियों में न्यूनतम है ।
* पंचायत समिति डूँगरपुर एवं बिछीवाड़ा के विद्यालयों में 3 छात्रों में से 1 छात्र सवर्ण है जबकि पंचायत समिति आसपुर सागवाड़ा एवं सीमलवाड़ा में 2 छात्रों में से 1 छात्र सवर्ण है ।
* पंचायत समिति डूँगरपुर, सागवाड़ा एवं बिछीवाड़ा में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की संख्या सवर्ण विद्यार्थियों से अधिक है ।
* न्यादर्श में लिए गए विद्यालयों से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार पूरे जिले में कुल छात्र एवं अनुसूचित जाति के छात्रों का अनुपात 15 : 1 है ।
* कुल छात्र एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों का पूरे जिले में अनुपात 2:1 है ।
* पूरे जिले में कुल छात्र एवं सवर्ण छात्रों का अनुपात 2:3:1 है अर्थात् अनुसूचित जन जाति के छात्रों की संख्या, सवर्ण छात्रों से भी अधिक है ।

## छात्र अध्यापक अनुपात एवं विद्यालय संस्थापन

विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश एवं ठहराव के विद्यालय का वातावरण आकर्षक होना आवश्यक होता है । यह तभी संभव है जबकि प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए एवं अध्यापन इस प्रकार करवाया जाए कि छात्र की रुचि अध्ययन में बनी रहे । इसीलिए विद्यालयों में छात्रों और अध्यापकों का एक निश्चित अनुपात होना अपेक्षित होता है । इस जिले की पाँचों पंचायत समितियों एवं जिले में छात्र अध्यापक अनुपात तालिका में दर्शाया गया है -

तालिका संख्या- 24

अध्यापक एवं छात्र संख्या तथा छात्र-अध्यापक अनुपात

| क्र0सं0 | पंचायत समिति | अध्यापकों की संख्या | छात्रों की संख्या | अध्यापक छात्र अनुपात |
|---|---|---|---|---|
| 1- | आसपुर | 134 | 4213 | 1 : 31 |
| 2- | डूँगरपुर | 119 | 4491 | 1 : 38 |
| 3- | सागवाड़ा | 126 | 4020 | 1 : 32 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 129 | 6732 | 1 : 52 |
| 5- | बिछीवाड़ा | 133 | 5136 | 1 : 39 |
| | डूँगरपुर जिला | 641 | 24592 | 1 : 39 |

सारणी से स्पष्ट है कि –

- पंचायत समिति सीमलवाड़ा में अध्यापक छात्र अनुपात 1 : 52 है जो कि समस्त पंचायत समितियों में सर्वाधिक है ।
- पंचायत समिति आसपुर अध्यापक छात्र अनुपात 1 : 31 है जो कि पंचायत समितियों में न्यूनतम है ।
- राज्य सरकार के मानदण्ड के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात 1 : 4 का है । अतः निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पंचायत समिति सीमलवाड़ा के अतिरिक्त अन्य चारों पंचायत समितियों का अनुपात कम है । अतः आसपुर, डूंगरपुर, सागवाड़ा एवं पिछीवाड़ा पंचायत समितियों में अधिक नामांकन किए जाने की आवश्यकता है ।
- न्यादर्श में लिए गए प्राथमिक विद्यालयों से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार डूंगरपुर जिले में अध्यापक एवं छात्रों का अनुपात 1 : 39 है जो कि राज्य सरकार के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार है ।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में छात्र एवं अध्यापकों का अनुपात, अनुपात से भिन्न है । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अनुपात निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी संख्या– 25

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र अध्यापक अनुपात

| क्रमांक | पंचायत समिति | अध्यापकों की संख्या | | छात्रों की संख्या | | छात्र/अध्यापक अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्रामीण क्षेत्र | शहरी क्षेत्र | ग्रामीण क्षेत्र | शहरी क्षेत्र | शहरी |
| 1– | डूंगरपुर | 22 | 7 | 1178 | 3313 | 54:1 |
| 2– | सागवाड़ा | 17 | 09 | 862 | 3158 | 51:1 |

- शहरी क्षेत्र में छात्र–अध्यापक अनुपात ग्रामीण क्षेत्र के अनुपात की अपेक्षा अधिक है ।
- डूंगरपुर के शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अनुपात 54:1 है जबकि सागवाड़ा के शहरी क्षेत्र में यह अनुपात 51:1 है ।
- डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापक छात्र अनुपात 34:1 है जबकि सागवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में यह अनुपात 29:1 है ।
- उपरोक्त निष्कर्षों से स्पष्ट है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र अध्यापक अनुपात निर्धारित मानदण्ड 40:1 से कम है । अतः इन क्षेत्र में नामांकन में वृद्धि अपेक्षित है ।
- शहरी क्षेत्रों में अनुपात लगभग 52:1 है जो कि निर्धारित 40:1 से अधिक है । अतः शहरी क्षेत्रों में अध्यापकों की संख्या वृद्धि की आवश्यकता

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के [illegible] विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त रहते हैं । ये पद स्थानान्तरण हो जा[illegible]ने या नियुक्तियाँ नहीं होने से रिक्त रहते हैं । सारणी में पंचायत समितिवार इन कारणों से रिक्त पदों का विवरण दर्शाया गया है :

सारणी संख्या-26

पंचायत समितिवार रिक्त पद

(प्रतिशत में)

| क्र०सं० | पंचायत समिति | रिक्त पद के कारण | | |
|---|---|---|---|---|
| | | नियुक्ति नहीं होने से | स्थानान्तरण से | [illegible] |
| 1- | डूँगरपुर | 20.2 | 4.9 | 2[illegible] |
| 2- | आसपुर | 18.0 | 14.0 | 3[illegible] |
| 3- | सागवाड़ा | 19.6 | 7.8 | [illegible] |
| 4- | सीमलवाड़ा | 25.0 | 32.5 | [illegible] |
| 5- | बिछीवाड़ा | 2.1 | 19.1 | 21[illegible] |
| | डूँगरपुर जिला | 16.9 | 15.2 | 32[illegible] |

* पंचायत समिति सीमलवाड़ा में 57.7 प्रतिशत पद रिक्त है जो कि समस्त पंचायत समितियों में अधिकतम हैं ।
* समस्त पंचायत समितियों में 21.2 % या उससे भी अधिक पद रिक्त है ।
* न्यादर्श में लिए गए [illegible] विद्यालयों से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट है कि पूरे जिले के 32 % प्राथमिक विद्यालयों में पद रिक्त हैं ।
* प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं दोनों की नियुक्ति की जाती है । निम्नांकित सारणी में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की संख्या का विवरण दिया हुआ है :

सारणी संख्या- 27

अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की पंचायत समितिवार संख्या

| क्र०सं० | पंचायत समिति | अध्यापक संख्या | | | पुरुष एवं महिला अध्यापकों का अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरुष | महिला | योग | |
| 1- | आसपुर | 101 | 33 | 134 | 3 : 1 |
| 2- | डूँगरपुर | 82 | 37 | 119 | 2 : 1 |
| 3- | सागवाड़ा | 104 | 22 | 126 | 5 : 1 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 96 | 33 | 129 | 3 : 1 |
| 5- | बिछीवाड़ा | 95 | 38 | 133 | 2.5:1 |
| | डूँगरपुर जिला | 478 | 63 | 641 | 3 : 1 |

सारणी से स्पष्ट है कि -

* पंचायत समिति डूँगरपुर में पुरुष एवं महिला अध्यापकों का अनुपात 2 : 1 है जो न्यूनतम है। अर्थात् पंचायत समिति डूँगरपुर के प्राथमिक विद्यालयों में तीन अध्यापकों में 2 पुरुष अध्यापक एवं 1 महिला अध्यापक है। अतः पंचायत समिति डूँगरपुर में अन्य पंचायत समितियों की अपेक्षा महिला अध्यापकों की संख्या अधिक है।
* न्यादर्श में लिए गए विद्यालयों से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पूरे जिले के प्राथमिक विद्यालयों में पुरुष एवं महिला अध्यापकों का अनुपात 3 : 1 का है।

प्राथमिक विद्यालय में घंटा बजाने, कमरों की सफाई, जल भरने एवं अन्य ...ता के कार्य हेतु अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती ... निम्नांकित सारणी में जिले के प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालीन चतुर्थ ... कर्मचारियों का विवरण दिया गया है :

सारणी संख्या- 28

प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

(प्रतिशत में)

| क्र०सं० | पंचायत समिति | विद्यालयों का प्रतिशत जहाँ | |
|---|---|---|---|
| | | अंशकालीन कर्मचारी उपलब्ध है | अंशकालीन कर्मचारी उपलब्ध नहीं है |
| 1- | आसपुर | 4[illegible] % | 58 % |
| 2- | डूँगरपुर | 4[illegible].2 | 53.8 |
| 3- | सागवाड़ा | 3[illegible].8 | 66.2 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 2[illegible].08 | 76.0 |
| 5- | बिछीवाड़ा | 1[illegible] | 89.8 |
| | डूँगरपुर जिला | 3[illegible].2 | 68.8 |

* सारणी से स्पष्ट है कि पंचायत समिति बिछीवाड़ा में 89.9 % विद्यालयों में अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है। यह संख्या पंचायत समितियों में अधिकतम है जबकि पंचायत समिति डूँगरपुर के 53.8 % विद्यालयों में अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं। यह प्रतिशत समस्त पंचायत समितियों में न्यूनतम है।
* न्यादर्श में लिए गए विद्यालयों से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार डूँगरपुर जिले के 68.8 % प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है।
* ऐसे समस्त विद्यालयों की सफाई पानी भरना आदि कार्य छात्रों के सहयोग से पूर्ण किए जाते हैं। अतः विद्यालयों हेतु अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी आवश्यक है एवं नियुक्त किया जाना चाहिए।

## विद्यालय संगम

शैक्षिक दृष्टि से विद्यालयों के अलगाव को समाप्त करने एवं आस-पास के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग हेतु विद्यालय संगम स्थापित किए गए हैं। पंचायत समितिवार जिले के विद्यालयों को आस-पास के सबसे बड़े स्तर के विद्यालयों से सम्बद्ध किया जाता है जो संगम केन्द्र कहा जाता है। प्रत्येक संगम केन्द्र अपने सदस्य विद्यालयों के सहयोग से वर्षपर्यन्त की योजना बनाता है। निम्नांकित सारणी में संगम केन्द्रों से जुड़े विद्यालयों का प्रतिशत दर्शाया गया है।

सारणी संख्या - 29

पंचायत समितिवार संगम केन्द्रों से जुड़े विद्यालय (प्रतिशत में)

| सं0 | पंचायत समिति | संगम केन्द्रों से जुड़े विद्यालय |
|---|---|---|
| 1- | आसपुर | 0.0 |
| 2- | डूँगरपुर | 8.1 |
| 3- | सागवाड़ा | 1.5 |
| 4- | सीमलवाड़ा | 9.2 |
| 5- | बिछीवाड़ा | 59.5 |
| | डूँगरपुर जिला | 69.6 |

सारणी से स्पष्ट है कि -

* पंचायत समिति सागवाड़ा के 91.5 % विद्यालय संगम केन्द्रों से जुड़े हैं जो कि पंचायत समितियों में सर्वाधिक है जबकि पंचायत समिति डूँगरपुर के न्यूनतम 58 % विद्यालय संगम केन्द्रों से जुड़े हैं।
* न्यादर्श में लिए गए विद्यालयों से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट है कि जिले के 69.6 % प्राथमिक विद्यालय संगम केन्द्रों से जुड़े हैं।

## जन सहयोग एवं निर्माण कार्य

समय के साथ - साथ विद्यालय संख्या में इतनी वृद्धि हो चुकी है क्योंकि सभी स्रोतों से विद्यालयों के समस्त संसाधनों की पूर्ति संभव नहीं हो पाती। अतः इस क्षेत्र में जन सहयोग भी प्राप्त करने के प्रयत्न विद्यालय करते हैं। निम्नांकित सारणी में विद्यालयों का प्रतिशत एवं जन सहयोग से प्राप्त अधिकतम एवं न्यूनतम राशि दर्शाई गई है :

सारणी संख्या-30

जन सहयोग प्राप्त [illegible] ने वाले विद्यालयों एवं अधिकतम न्यूनतम राशि
{प्रतिशत में}

| पंचायत समिति | जन सहयोग प्राप्त करने वाले विद्यालय | जन सहयोग की राशि {रुपयों में} | |
|---|---|---|---|
| | | न्यूनतम | अधि[illegible] |
| आसपुर | 12.8 | 125/- | 30[illegible] |
| डूंगरपुर | 16.[illegible] | 370/- | 45[illegible] |
| सागवाड़ा | 19.4 | 125/- | 519[illegible] |
| सीमलवाड़ा | 25.9 | 110/- | 1500[illegible] |
| बिछीवाड़ा | 21.[illegible] | 115/- | 50[illegible] |
| योग= जिला डूंगरपुर | 19.5 | 110/- | 519[illegible] |

सारणी से स्पष्ट है कि :-

पंचायत समिति सीमलवाड़ा में [illegible] प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय जन सह[illegible] प्राप्त करते हैं। यह प्रतिशत स[illegible] पंचायत समितियों में अधिकतम है। न्यादर्श में लिए गए विद्यालयों [illegible] प्राप्त निष्कर्षों से जिले के 19.5[illegible] प्राथमिक विद्यालय जन सहयोग [illegible]प्त करते हैं। जिले में प्राप्त जन सहयोग की न्यू[illegible]म राशि रु0 110/- एवं अधिक[illegible] रु0 51900/- है जो क्रमशः पंचा[illegible] समिति के [illegible] कॉलोनी [illegible] प्राथमिक विद्यालयों को प्राप्त [illegible] है।

## {5} नामांक[illegible] [illegible]द्धि में सहयोगी उत्प्रेरक

संविधान में प्रदत्त 6 से 14 वर्ष [illegible] की आयु वर्ग में शत प्रतिशत नाम[illegible] [illegible]लए विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा [illegible] किए जाते हैं। अध्यापकों द्वा[illegible] [illegible]रितोषिक दिया जाना, दण्ड दिया जा[illegible] एवं अभिभावकों से संपर्क सम्मिलित [illegible]। कुछ उत्प्रेरक राज्य सरकार द्वारा [illegible] करवाए जा रहे हैं।

निम्नांकित सारणी में उत्प्रेरक [illegible] उन्हें उपयोग में लाने वाले विद्याल[illegible] [illegible] प्रतिशत दर्शाया गया है।

सारणी संख्या-31

नामांकन वृद्धि हेतु उत्प्रेरक एवं उन्हें उपयोग में लाने वाले विद्यालयों का विवरण (प्रतिशत में)

| पंचायत समिति | विद्यालय जिनमें नामांकन वृद्धि हेतु उत्प्रेरक उपयोग में लाए जाते हैं | | | |
|---|---|---|---|---|
| | पोषाहार | निःशुल्क ड्रेस वितरण | छात्रवृत्ति | पितृ/शिक्षक संघ निर्माण एवं जन संपर्क |
| आसपुर | 40.0 | 26.[illegible] | - | 16.0 |
| डूंगरपुर | 46.1 | 4.[illegible] | - | 18.6 |
| सागवाड़ा | 50.5 | - | - | 20.4 |
| सीमलवाड़ा | 25.4 | 28.3 | 4.3 | 26.1 |
| बिछीवाड़ा | 80.8 | 10.[illegible] | - | 14.8 |
| जिला डूंगरपुर | 48.5 | 13.9 | 0.8 | 19.1 |

* पंचायत समिति बिछीवाड़ा में उत्प्रेरक- पोषाहार का समस्त पंचायत समितियों में से सर्वाधिक (80.8 %) उपयोग होता है।
* उत्प्रेरक निःशुल्क ड्रेस वितरण का उपयोग पंचायत समिति सीमलवाड़ा द्वारा 28.3 % किया जा रहा है। यह समस्त पंचायत समितियों में अधिकतम है।
* छात्रवृत्ति का उपयोग मात्र पंचायत समिति सीमलवाड़ा में 4.3 % हो रहा है।
* पितृ शिक्षक संघ निर्माण एवं जन सहयोग पंचायत समिति सीमलवाड़ा द्वारा 26.1 % विद्यालयों द्वारा लिया जा रहा है जो कि समस्त पंचायत समितियों में अधिकतम है।
* न्यादर्श में लिए गए विद्यालयों से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार डूंगरपुर जिले में 48.5 % विद्यालयों द्वारा पोषाहार 13.9 % द्वारा निःशुल्क ड्रेस वितरण एवं 19.1 % प्राथमिक विद्यालयों द्वारा पितृ शिक्षक संघ निर्माण एवं जन सहयोग का उपयोग किया जा रहा है। छात्रवृत्ति का उपयोग मात्र 0.8 % ही है।

## सारांश एवं प्रमुख उपपत्तियाँ

डूंगरपुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 701 है। समस्त विद्यालय पाँचों पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों के मार्ग निर्देशन में संचालित होते हैं। इन विद्यालयों के भौतिक साधनों की स्थिति की जानकारी एवं मानवीय संसाधनों का अध्ययन करना, इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य रहा है।

(1) अध्ययन सीमांकन एवं न्यादर्श चयन :

डूँगरपुर जिले की पाँचों पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालयों को अध्ययन हेतु लिया गया । क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है अतः "नेशनल एजूकेशन एसोसियेशन" में प्रकाशित "Small Sample Techniques"
के टेबिल से न्यादर्श के रूप में 250 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया । चयन पाँचों पंचायत समितियों से यादृच्छिक तरीके से किया गया ।

(2) कार्यविधि एवं दत्त एकत्रीकरण :

संसाधनों के सर्वेक्षण हेतु एक सर्वेक्षण उपकरण तैयार किया गया एवं इन्हें "विद्यालय सूचना प्रपत्र" के रूप में विकसित किया गया ।

न्यादर्श द्वारा चयनित समस्त 250 प्राथमिक विद्यालयों से सूचनाएँ पंचायत समिति मुख्यालय से प्राप्त की जाकर दत्त एकत्रित किए गए ।

(3) दत्त विश्लेषण :

एकत्रित दत्तों को पंचायत समितिवार संकलन किया गया । तत्पश्चात् प्रतिशत एवं औसत आदि ज्ञात कर सारणीयन किया गया सारणीयन के आधार पर निष्कर्ष ज्ञात किए गए ।

अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

विद्यालयों की दशकवार स्थापना :

(क) 1931-40 के दशक में (1936 में) पंचायत समिति सागवाड़ा के मांडव गाँव में प्रथम प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई ।

(ख) दशक 1921-30 के अंत तक किसी भी पंचायत समिति में कोई भी विद्यालय नहीं खोला गया ।

(ग) 1981-90 के दशक में पंचायत समिति में अधिकतम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई ।

(घ) समस्त पंचायत समितियों में 85 % से अधिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुई ।

(ङ) पूरे जिले में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1.6 % एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 5.6 % प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हुई ।

जनसंख्या एवं विद्यालय :

(क) सागवाड़ा पंचायत समिति में 151 की जन संख्या के गाँव में छात्र प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है जबकि शेष चारों पंचायत समितियों में न्यूनतम 200 से 250 तक की जनसंख्या के गाँव में छात्र प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं ।

(ख) जिले में न्यूनतम 800 या इससे अधिक की जनसंख्या के गाँव में छात्रा प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है ।

विद्यालयों को पंचायत मुख्यालय से दूरियाँ एवं बस सुविधा :

(क) पंचायत समिति आसपुर में एक प्राथमिक विद्यालय ऐसा है जो कि पंचायत मुख्यालय से 8 किमी की दूरी पर है जबकि शेष चारों पंचायत समितियों में एक-एक विद्यालय ऐसा है जो पंचायत मुख्यालय से 10 किमी की दूरी पर स्थित है ।

(ख) जिले की समस्त पंचायत समितियों में 50 % से अधिक प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पहुँच हेतु बस सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) पंचायत समिति आसपुर, डूँगरपुर, सागवाड़ा एवं बिछीवाड़ा प्रत्येक पंचायत समितियों में एक-एक विद्यालय ऐसा है कि जहाँ पहुँच हेतु न्यूनतम 10 किमी की पैदल यात्रा आवश्यक है । ये विद्यालय क्रमशः प्राथमिक विद्यालय ओड़ा, छेला खेरवाड़ा, मटूकेड़ एवं कंडुला के हैं ।

विद्यालय भवनों एवं खेल के मैदानों की स्थिति :

(अ) डूँगरपुर जिले में 19.2 % विद्यालय कच्चे, 36.4 % प्राथमिक विद्यालय आंशिक कच्चे पक्के एवं 44.4 % विद्यालय भवन पक्के हैं ।

(ब) पंचायत समिति बिछीवाड़ा एवं आसपुर के 7.7 % एवं 2.2 % विद्यालय भवन दानदाताओं द्वारा दिए गए हैं ।

(स) पंचायत समिति डूँगरपुर एवं सागवाड़ा के 21.4 % एवं 4.6 % प्राथमिक विद्यालय भवन किराए पर हैं ।

(द) जिले में पंचायत समिति डूँगरपुर के एक प्राथमिक विद्यालय का किराया रु0 999/- है जो कि जिले में चुकाए जाने वाला अधिकतम किराया है। पंचायत समिति सागवाड़ा के [illegible] एक प्राथमिक विद्यालय का किराया रु0 20/- है जो कि जिले का न्यूनतम है ।

(य) पाँचों पंचायत समितियों के 50 % से भी अधिक प्राथमिक विद्यालयों में बाउण्डरी नहीं है एवं

(र) जिले के 64 % विद्यालय भवनों के बाउण्डरी नहीं है ।

(ल) जिले में 42 % विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कक्षा-कक्षों की संख्या मात्र 2 है । यह खेद जनक स्थिति का द्योतक है ।

(व) जिले में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें वर्तमान में कुछ कारणों से कक्षा-कक्षों की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है । जैसे पंचायत समिति डूँगरपुर में प्राथमिक विद्यालय डूँगरापला (सुराता) का भवन निर्माणाधीन होने से एक भी कक्षा-कक्ष उपलब्ध नहीं है । इसी तरह पंचायत समिति बिछीवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय वीरपुर में समस्त भवन कच्चा है एवं कक्षा-कक्षों हेतु कमरे उपयोग में नहीं आ रहे हैं ।

(क) पाँचों पंचायत समितियों के 65 % से 86 % प्राथमिक विद्यालयों की छतें पक्की हैं ।

(ख) भवनों की छतें पक्की होते हुए भी पंचायत समिति सागवाड़ा के 7? विद्यालयों की एवं पंचायत समिति बिछीवाड़ा की 92.7 % विद्यालयों की छतें टपकती हैं जिससे वर्षा ऋतु में छात्रों के अध्ययन में बाधा उपस्थित होती है ।

(ग) पूरे जिले में 55.2 % प्राथमिक विद्यालयों के भवनों में बरामदा उपलब्ध है जबकि 44.8 % विद्यालयों में बरामदा उपलब्ध नहीं है ।

(घ) पूरे जिले में 79.2 % प्राथमिक विद्यालयों में खेल के मैदान हैं ।

(च) पूरे जिले के 46.2 % विद्यालयों की भूमि विद्यालय खातों में है जबकि 53.8 % विद्यालयों की भूमि विद्यालय खातों में नहीं है ।

विद्यालयों में अधूरे निर्माण कार्य :

(क) पंचायत समिति सागवाड़ा में 52.6 % सीमलवाड़ा में 45 % आसपुर में 42 % बिछीवाड़ा में 36.1 % एवं डूँगरपुर पंचायत समिति में 23.2 % निर्माण कार्य अधूरे हैं ।

(ख) न्यादर्शों में लिए गए विद्यालयों के अनुसार संपूर्ण जिले के 36.4 % विद्यालयों के निर्माण कार्य अधूरे हैं ।

(ग) अधूरे कार्यों में रोकि? रु0 55,000/- पंचायत समिति सीमलवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय सेण्डोला एवं सारणखास में प्रयुक्त हुई है ।

(घ) पंचायत समिति डूँगरपुर के प्राथमिक विद्यालय नं02 डूँगरपुर में रु0 50,000/- प्रयुक्त हुए हैं किंतु कार्य अधूरा है ।

(च) पंचायत समिति आसपुर के प्राथमिक विद्यालय ओड़ा में रु0 45,000/- प्रयुक्त हुए हैं एवं निर्माण कार्य अधूरा है ।

(छ) पंचायत समिति बिछीवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय पुनरा? में रु0 32,000/- प्रयुक्त हुए हैं एवं निर्माण कार्य अधूरा है ।

(ज) पंचायत समिति सागवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय कानपुर में रु0 15,000/- प्रयुक्त हुए हैं एवं निर्माण कार्य अधूरा है ।

विद्यालयों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाएँ :

(क) पंचायत समिति आसपुर, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा एवं बिछीवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय वाले गाँवों में से लगभग 60 % गाँवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है जबकि पंचायत समिति डूँगरपुर में ऐसे गांवों की संख्या सिर्फ 48.8 % ही है ।

(ख) पंचायत समिति आसपुर के प्राथमिक विद्यालय वाले सिर्फ 30 % गाँवों में ही जलप्रदाय योजना उपलब्ध है । जो कि समस्त पंचायत समितियों में अधिकतम है । जबकि पंचायत समिति सीमलवाड़ा के गाँवों में जल प्रदाय योजना का प्रतिशत 12 है जो कि समस्त पंचायत समितियों में न्यूनतम है ।

/

(ग) पंचायत समिति डूँगरपुर एवं सागवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय वाले गाँवों में चिकित्सा सुविधा 39 % है जबकि आसपुर में 34 % बिछीवाड़ा में 29 % एवं पंचायत समिति सीमलवाड़ा में मात्र 22.5 % है ।

(घ) पंचायत समिति आसपुर, डूँगरपुर एवं सागवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय वाले गाँवों में टेलीफोन सुविधा 27 % से 30 % के मध्य है जबकि बिछीवाड़ा में 19 % एवं पंचायत समिति सीमलवाड़ा में मात्र 14.5 % है ।

(च) पोस्ट ऑफिस जैसी प्राथमिक सुविधा भी जिले की पंचायत समिति के गाँवों में अपर्याप्त है । पंचायत समिति आसपुर के प्राथमिक विद्यालय वाले गाँवों में यह सुविधा 46 % जो समस्त पंचायत समितियों में अधिकतम है जबकि पंचायत समिति सीमलवाड़ा में यह सुविधा 30 % ही है जो कि समस्त पंचायत समितियों में न्यूनतम है ।

जल हेतु सुविधा :

(क) पंचायत समिति सागवाड़ा के 50 % शहरी प्राथमिक विद्यालयों में पेय जल हेतु नल की सुविधा उपलब्ध है जबकि डूँगरपुर शहरी क्षेत्र में यह सुविधा मात्र 12.5 % विद्यालयों में ही है ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति आसपुर के मात्र 10 % प्राथमिक विद्यालयों में डूँगरपुर के 5.7 % प्राथमिक विद्यालयों में, सागवाड़ा के 5 % विद्यालयों में, बिछीवाड़ा के 4.2 % विद्यालयों में एवं सीमलवाड़ा के मात्र 2.5 % विद्यालयों में नल की सुविधा उपलब्ध है ।

(ग) पंचायत समिति डूँगरपुर के 50 % शहरी प्राथमिक विद्यालयों में एवं पंचायत समिति सागवाड़ा के 37 % विद्यालयों में हैण्डपम्प की सुविधा उपलब्ध है ।

(घ) पंचायत समिति डूँगरपुर के 80 %, सागवाड़ा के 62.5 % बिछीवाड़ा के 53 %, सीमलवाड़ा के 42.5 % एवं पंचायत समिति आसपुर के 30 % ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प की सुविधा उपलब्ध है ।

(च) पंचायत समिति आसपुर के 58 %, सीमलवाड़ा के 55 % बिछीवाड़ा के 36.2 %, सागवाड़ा के 29.4 % एवं पंचायत समिति डूँगरपुर के 20.9 % विद्यालयों में जल सुविधा का यथोचित प्रबन्ध उपलब्ध नहीं है ।

मूत्रालय एवं शौचालय हेतु सुविधा :

(क) पंचायत समिति सागवाड़ा के 39.2 %, डूँगरपुर के 37.2 % सीमलवाड़ा के 22.5 %, आसपुर के 18 % एवं पंचायत समिति बिछीवाड़ा के मात्र 14.9 % विद्यालयों में मूत्रालय की व्यवस्था है ।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-6772
Date 31/0/92



(ख) संपूर्ण जिले के में 79.2 % विद्यालयों में मूत्रालय की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।

(ग) संपूर्ण जिले में केवल 7.1 % विद्यालयों में छात्राओं हेतु पृथक से मूत्रालय उपलब्ध हैं ।

(घ) संपूर्ण जिले के मात्र 16.8 % विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है ।

विद्यालयों में फर्नीचर की उपलब्धता :

(क) संपूर्ण जिले के प्रत्येक विद्यालय में औसतन 4 कुर्सियां 2 मेजें, 1 स्टूल, 1 आलमारी, 25 दरीपट्टी, 2 जाजम एवं 1 श्यामपट्ट उपलब्ध है ।

(ख) जिले के 19 % विद्यालयों में श्यामपट्ट की भी समुचित व्यवस्था नहीं है ।

विद्यालयों में उपलब्ध उपकरण : कुन्जी .31 % घड़ी, 80%

संपूर्ण जिले के 85 % में नक्शे, 75.5 % में रोलअप बोर्ड, 60 % में ग्लोब, 35 % में चरू, 82 % में ढोलक एवं मात्र 4.4 % विद्यालयों में रेडियो उपलब्ध है ।

विद्यालयों में उपलब्ध पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति :

(क) जिले की पंचायत समितियों के 43 % से 62 % विद्यालयों में पुस्तकों की संख्या 100 से 200 के मध्य है ।

(ख) पंचायत समिति सागवाड़ा 9.8 %, आसपुर के 6 %, डूँगरपुर के 4.8% एवं पंचायत समिति सीमलवाड़ा के 2 % विद्यालयों में पुस्तकों की संख्या 500 से अधिक है जबकि पंचायत समिति बिछीवाड़ा में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है ।

(ग) समस्त पंचायत समितियों में पत्र-पत्रिकाएँ मंगवाने वाले विद्यालयों का प्रतिशत मात्र 5 से 18.6 के मध्य में ही है ।

मानवीय परिप्रेक्ष्य :

छात्रों का जातिवार अनुपात :

(क) विद्यालयों में कुछ छात्र एवं अनुसूचित जाति के छात्रों का अनुपात पंचायत समिति बिछीवाड़ा एवं आसपुर में 10.1 % है, सागवाड़ा में 12.1 % है, डूँगरपुर में 17.1 % है जबकि पंचायत समिति सीमलवाड़ा में 42.1 % है अर्थात् 42 छात्रों पर 1 छात्र अनुसूचित जाति का है ।

(ख) आसपुर पंचायत समिति के अतिरिक्त शेष चारों पंचायत समितियों में कुछ छात्र एवं अनुसूचित जन जाति छात्रों का अनुपात 2:1 है जबकि आसपुर पंचायत समिति में यह अनुपात 3:1 का है ।

छात्र अध्यापक अनुपात :

(क) ग्रामीण विद्यालयों में अध्यापकों एवं छात्रों का अनुपात भिन्न है । पंचायत समिति आसपुर में अध्यापक छात्र अनुपात

1:31 का है, डूँगरपुर में 1:38, पिछीवाड़ा में 1:39, सागवाड़ा में 1:32 है, जबकि पंचायत समिति सीमलवाड़ा में यह अनुपात 1:52 का है ।

(ख) शहरी क्षेत्र सागवाड़ा में अध्यापक छात्र अनुपात 1:51 का है जबकि डूँगरपुर के शहरी क्षेत्र में यह अनुपात 1:54 का है ।

रिक्त पद एवं पंचायत समिति वार अध्यापक संख्या :

(क) संपूर्ण जिले के प्राथमिक विद्यालयों में 32 % पद नियुक्ति नहीं होने एवं स्थानान्तरण हो जाने से रिक्त हैं ।

(ख) संपूर्ण जिले में पुरुष एवं महिला अध्यापकों का अनुपात 3:1 का है । पंचायत समिति डूँगरपुर में पुरुष एवं महिला अध्यापकों का अनुपात 2:1 है जबकि आसपुर एवं सीमलवाड़ा का अनुपात 2:1 है जबकि पिछीवाड़ा तथा पंचायत समिति सीमलवाड़ा एवं पिछीवाड़ा में पुरुष एवं महिला अध्यापकों का अनुपात 3:1 का है ।

प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :

संपूर्ण जिले में मात्र 31:2 % विद्यालयों में ही अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध हैं । शेष 68.8 % विद्यालयों में अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है ।

संगम केन्द्रों से जुड़े प्राथमिक विद्यालय :

जिले के पंचायत समिति डूँगरपुर, सीमलवाड़ा एवं पिछीवाड़ा के 58 से 59 % विद्यालय संगम केन्द्रों से जुड़े हुए हैं, जबकि पंचायत समिति आसपुर के 80 % एवं पंचायत समिति सागवाड़ा के अधिकतम 91 % विद्यालय संगम केन्द्रों से जुड़े हुए हैं ।

प्राथमिक विद्यालयों में जनसहयोग एवं निर्माण कार्य :

(क) जिले की पंचायत समिति आसपुर में जनसहयोग प्राप्त करने वाले विद्यालयों का प्रतिशत 12.8% है जबकि पंचायत समिति डूँगरपुर में 16 6 % सागवाड़ा में 19.4%, पिछीवाड़ा में 21.2 % एवं पंचायत समिति सीमलवाड़ा के 25.9 % प्राथमिक विद्यालयों द्वारा जनसहयोग प्राप्त किया गया ।

(ख) पंचायत समिति सीमलवाड़ा के विद्यालयों द्वारा 15000/- रू0, आसपुर द्वारा रू0 30220/-, डूँगरपुर द्वारा रू0, 45000/-, पिछीवाड़ा द्वारा रू0 50,000/- एवं सागवाड़ा द्वारा रू0 51900/- की अधिकतम राशि जन सहयोग द्वारा प्राप्त की गई ।

नामांकन वृद्धि में सहयोगी उत्प्रेरक :

प्राथमिक विद्यालयों द्वारा नामांकन वृद्धि हेतु चार तरह के उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है । ये उत्प्रेरक पोषाहार, निःशुल्क ड्रेस वितरण, छात्रवृत्ति एवं पितृ शिक्षक संघ निर्माण एवं जन संपर्क है ।

(क) नामांकन वृद्धि हेतु उत्प्रेरक के रूप में पोषाहार का उपयोग पंचायत समिति सीमलवाड़ा के 25.4 % प्राथमिक विद्यालय, आसपुर के 40 % प्राथमिक विद्यालय, डूँगरपुर के 46 % प्राथमिक विद्यालय, सागवाड़ा के 50.5 % प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत समिति बिछीवाड़ा के 80.8 % प्राथमिक विद्यालय द्वारा किया जाता है।

(ख) नामांकन वृद्धि हेतु निःशुल्क ड्रेस वितरण पंचायत समिति डूँगरपुर के 4.6 % प्राथमिक विद्यालयों द्वारा पंचायत समिति बिछीवाड़ा के 10.6 % विद्यालयों द्वारा पंचायत समिति आसपुर के 26 % एवं पंचायत समिति सीमलवाड़ा के 28. % प्राथमिक विद्यालयों द्वारा किया जाता है।

(ग) पितृ शिक्षक संघ निर्माण एवं जनसंपर्क का नामांकन वृद्धि हेतु उपयोग पंचायत समिति बिछीवाड़ा के 14.8 % प्राथमिक विद्यालय द्वारा, पंचायत समिति आसपुर के 16 %, डूँगरपुर 18.6 %, सागवाड़ा के 20.4 % एवं पंचायत समिति सीमलवाड़ा के 26.1 % प्राथमिक विद्यालयों द्वारा किया जाता है।

(घ) संपूर्ण जिले में छात्रवृत्ति का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग केवल पंचायत समिति सीमलवाड़ा के 4.3 % विद्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

जिले में कच्चे भवन वाले विद्यालय :

(क) पंचायत समिति चिखलवाड़ा, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा

| चिखलवाड़ा | सागवाड़ा | सीमलवाड़ा |
|---|---|---|
| आसिया गाव | सागवाड़ा नं0 8 | मेवड़ा |
| पुनरावाड़ा | सागवाड़ा नं0 9 | वतड़ी |
| कन्डूला | सागवाड़ा नं0 12 | पारड़ा तकानी |
| लक्ष्मणपुरा | नई दस [illegible] डेचा | अब्वाड़ा |
| लाडसोर | गड़ा ल[illegible]सिंह | |
| विजुड़ा | दलराम पुरा | |
| विलपण | रदोली | |
| गोंदी कूआ | भिलूड़ी | |
| गैंजी | गड़ा [illegible] | |
| चिखलवाड़ा | छाणी उपली | |

(ख) पंचायत समिति डूँगरपुर, आसपुर

| डूँगरपुर | आसपुर |
|---|---|
| डूँगरपुर नं0 7 | सावला |
| [illegible]लवाड़ी फला | नया टा[illegible]रा |
| [illegible]ाकोला | पारड़ा |
| गड़ा मालजी | चुड़िया[illegible]ड़ा |
| चौराफला | पड़ालिया |
| कुजेला | भैंवड़ी |
| रंगपुर | मानपुरा |
| देव सोमनाथ | |

परिशिष्ट II

पंचायत समितिशः गाँव से विद्यालय दूरी :

(क) पंचायत समिति छि[illegible]ाड़ा, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा

| पं०स० छिछीवाड़ा विद्यालय दूरी | पं०स० सा[illegible]वाड़ा विद्यालय दूरी | पं०स० सीमलवाड़ा विद्यालय दूरी |
| --- | --- | --- |
| [illegible]ा पाल 2 किमी | पटली 4 किमी | खार 4 किमी |
| [illegible]रा कनवा 2 किमी | महूड़ी [illegible]ा 2 किमी | बतड़ी 2 किमी |
| [illegible]ी 3 किमी | नई बस्त[illegible] डेचा 5 किमी | धुवेड़ 2 किमी |
| [illegible]ाराव 6 किमी | पीपला [illegible]ज 3 किमी | रोजेला 6 किमी |
| [illegible]ाड़ा 3 किमी | मटुवेड [illegible] किमी | भेरोप 1 किमी |
| [illegible] 4 किमी | सुरमणा 3 किमी | कांगुडवा 7 किमी |
| [illegible]ी 2 किमी | जोहरा [illegible] किमी | बोडामली 8 किमी |
| [illegible] किमी | उदयपुर [illegible]ाफी 4 किमी | गुडावाड़ा 2 किमी |
| [illegible]ा 5 किमी | दीपड़ा [illegible]टा 5 किमी | खांडिया 5 किमी |
| [illegible]ाड़ा 2 किमी | कल्याण[illegible]र 5 किमी | ढूंढावाड़ा 4 किमी |
| [illegible]ी 3 किमी | गड़ा [illegible]सिंह 8 किमी | नाड़ा 4 किमी |
| [illegible]ालपुरा 2 किमी | बलराम[illegible]ा 4 किमी | खुमानपुरा 4 किमी |
| [illegible]ापुरा 4 किमी | भुवासा [illegible] किमी | सारणा खास 7 किमी |
| [illegible]स नगर 1 किमी | गुलाबपुर[illegible] 1 किमी | अम्बाड़ा 10 किमी |
| [illegible]टया 2 किमी | डोली [illegible] किमी | कालधारी 6 किमी |
| [illegible]ड़तोर 3 किमी | खोली [illegible] किमी | दाद 20 किमी |
| [illegible]हूड़ी 4 किमी | रातेड़ा[illegible] 1 किमी | निठाउवा 3 किमी |
| [illegible]जूड़ा 5 किमी | बड़फिया 2 किमी | कमलपुरा 10 किमी |
| [illegible]लपणा 4 किमी | गांगड़ा [illegible]रणिया 3 किमी | पुनावाड़ा .5 किमी |
| [illegible]दी कूंआ 2 किमी | नवाटापरा 2 किमी | कनबा 4 किमी |
| [illegible]रा 3 किमी | चोर [illegible] 4 किमी | जाफरा 3 किमी |
| [illegible] तालाब 3 किमी | भीलूड़ी [illegible] किमी | गोहफिया 4 किमी |
| [illegible]ुर 3 किमी | जोधपुरा 3 किमी | भचड़िया 4 किमी |
| [illegible]ुर 5 किमी | शिवपुर[illegible] 3 किमी | जोरावरपुरा [illegible] |
| [illegible] किमी | गड़ावसी 5 किमी | गैलणा 3 किमी |
| [illegible] 10 किमी | छाणी 5 किमी | पारड़ा [illegible]ताजी 3 [illegible] |
| | तोरणा[illegible] 1.5 किमी | अम्बाड़ा 10 किमी |
| | | राहदोड़ भादर 1 [illegible] |
| | | गड़िया भादर 4 किमी |
| | | नागरिया पंचेला 4 [illegible] |

(ख) पंचायत समिति डूँगरपुर, आसपुर

| गरपुर विद्यालय दूरी | पं०स० आसपुर विद्यालय दूरी |
|---|---|
| ं0 8 .5 किमी | कूमला अंबा 3 किमी |
| ा फला 4.5 किमी | खोड़ी आसपुर .5 किमी |
| 2 किमी | देवपुरा 7 किमी |
| ाड़ 5 किमी | निहालपुरा 2 किमी |
| 4 किमी | क भोदरा 6 किमी |
| 5 किमी | ओड़ा 10 किमी |
| ाढ़ी 4 किमी | पचलासा 3 किमी |
| ापला 2 किमी | गड़ा वस वासुकी 7 किमी |
| ोला 1.5 किमी | भोपालपुरा 3 किमी |
| ोरवाड़ा 12 किमी | पारड़ा सोलंकी 3 किमी |
| ा वती 2 किमी | नया टापरा 3 किमी |
| ा मालजी 2 किमी | कलासुआ का कुंआ 1 किमी |
| ा 2 किमी | खोरमाल 3 किमी |
| 2 किमी | टाँटिया 1.5 किमी |
| 3 किमी | पारड़ा 2 किमी |
| 5 किमी | आसन टेकरी 5 किमी |
| ा 3 किमी | बड़ा कुंभारिया 1 किमी |
| 5 किमी | चुंडियावाड़ा 4 किमी |
| किमी | रायणा 3 किमी |
| ापिया 1 किमी | कांकरी 1.5 किमी |
| ा 4 किमी | गमीरपुरा 1 किमी |
| 2 किमी | भैनड़ी 3 किमी |
| मांडल 3 किमी | मलाणा 3 किमी |
| 2 किमी | तलैया 3 किमी |
| ांव दा ड़ी 2 किमी | डोलपुरा 4 किमी |
| ारी 3 किमी | लिम्बाड़ी 2 किमी |
| [illegible] 6 किमी | गोठड़ा 4 किमी |
| | मानपुरा 2 किमी |

परिशिष्ट [illegible]

जिले में बिना बाउण्ड्री वाले विद्यालय :

क) पंचायत समिति बिछीवाड़ा, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा

| बिछीवाड़ा | सागवाड़ा | सीमलवाड़ा |
|---|---|---|
| [illegible] | सागवाड़ा नं0 2 | खार |
| [illegible] भैरा | सागवाड़ा नं0 4 | धुनेड़ |
| [illegible] गाव | सागवाड़ा नं0 6 | मैराप |
| [illegible] | सागवाड़ा नं0 12 | कांगुडवा |
| [illegible] | सागवाड़ा नं0 13 | थोड़ाभली |
| [illegible]ड़ी | पटली | गुड़ावाड़ा |
| [illegible]रपुर | महुड़ीफला | खांडिया |
| [illegible]वाड़ा | नई बस्ती डेचा | माला बोलड़ा |
| [illegible]वा | मटुवेड़ | नाडा |
| [illegible] फला | जोहरा | तेण्डोला |
| [illegible] | उदयपुरा माफी | बुनानपुरा |
| [illegible]ाड़ा | बलरामपुरा | तारण खास |
| [illegible] | भुवाला | रोयड़ा |
| [illegible]ुरा | रातेड़ा फला | अम्बाड़ा |
| [illegible] | पाटिया | कलियारी |
| [illegible] | मांडवा | निठाउवा |
| [illegible] | कानपुर | पुनावाड़ा |
| [illegible] | जोठाणा | कनवा |
| [illegible] | तोरणियाधा | देवगांव |
| [illegible] | गड़ा वासणा | जाम्बुड़ी |
| [illegible] निचली | खड़गदा | झाफरा |
| [illegible] | मांडव | रास्तापाल |
| [illegible] | वरदा | गोहलिया |
| [illegible] | डामोरवाड़ा | पीठ |
| [illegible] छात्रा | आसोर | झरनी |
| [illegible]वाड़ा छात्रा | | भचड़िया |
| | | जोरावरपुरा |
| | | गेलन |
| | | नवाघरा माताजी |
| | | गलियाकोट न्यू |
| | | पारड़ा मसानी |
| | | भण्डारा भादर |
| | | राहदोड़ भादर |
| | | गड़िया भादर |

(ख) पंचायत समिति डूँगरपुर, आसपुर

**डूँगरपुर**

डूँगरपुर नं0 1
डूँगरपुर नं0 7
डूँगरपुर नं0 10
डूँगरपुर नं0 8
डूँगरपुर नं0 13
लिंबड़ी फला
ाला तालाब
तलैया
राजगढ़ी
नालफला
झांकोला
खोरवाड़ा
घाटा वली
नंद पुर
सुलई
वीरपुर
ददोड़िया
सेलज
सिदड़ी
मांडव माइंस
वीराफला
कुजेला
ठीला
मांडेला
ंगपुर
ड़ावल फला
ेरणियावा
ंगरापाल मांडव
गामड़ी
नया गांव
आंतरी

**आसपुर**

कमला आम्बा
गड़ा नाथ जी
फतेहपुरा
गामड़ी
देवपुरा
गोदरा
गड़ा वासुकी
गड़ा अरंडिया
नवा टापरा
मुंगेड
टांटिया
नया गांव
गडा कुंभारिया
गोठ महूड़ी
चूड़िया वाड़ा
वनकोड़ा
आंतरी
घांटा

गमीरपुरा

भेवड़ी
भसाणा
तलैया
लिंबड़ी
पुंजपुर
वड़ोदा
गोठड़ा
मानपुरा

परिशिष्ट IV

(क) दो कक्षा-कक्षों वाले विद्यालय :
पंचायत समिति [illegible]छीवाड़ा, सा[illegible]ड़ा, सीमलवाड़ा

| [illegible]छीवाड़ा | सागवाड़ा | सीमलवाड़ा |
|---|---|---|
| [illegible] कनवा | सागवाड़ा रा0वि0नं0 4 | गुवेड़ |
| [illegible] | सागवाड़ा नं0 10 | गैरोप |
| | सागवाड़ा नं0 13 | गुदावाड़ा |
| [illegible]पुर | पटली | ढूँढावाड़ा |
| | महुड़ी फला | नाड़ा |
| | नई बस्ती [illegible]चा | सेण्डोला |
| | पीपला गुंज | अम्बाड़ा |
| | उदयपुरा [illegible] माफी | झाम्बुड़ी |
| | भुवासा | झाफरा |
| [illegible]रा | रातेड़ा फ[illegible] | गेलन |
| [illegible] | वड़लिया | नवाघरा |
| | शिवराज[illegible] | पारड़ा मताजी |
| [illegible]ड़ा | नालवरदा | |
| [illegible]ताव | सुरमणा | |
| [illegible] निचली | | |
| [illegible]मेवाड़ा) | | |
| [illegible]पुर | | |
| [illegible]ला | | |

परिशिष्ट IV

वा) दो कक्षा – कक्षों वाले विद्यालय :

पंचायत समिति – डूँगरपुर, आसपुर

| डूँगरपुर | आसपुर |
| --- | --- |
| डूँगरपुर प्रा0वि0 नं0 13 | कमला आंबा |
| …ोरपुर | खोड़ी आसपुर |
| …ीलज | गड़ा नाथजी |
| तलैया | देवपुरा |
| राजगढ़ी | निहालपुरा |
| नालफला | गमेला फला |
| झाकोल | भोपालपुरा |
| लोरवाड़ा छैला | पारड़ा सोलंकी |
| ब्र पगारा | गड़ा अरण्डिया |
| डूँगरा फला | नवा टापरा |
| वड़ावल फला | वोड़ी गामा पड़ा |
| दे। तोमनथ | मुँगेड़ |
| …ड़ली | कलासुओं का कुआ |
| …ा गांव दाभड़ी | टांटिया |
| …णवी<br>आड़ा मानजी | पारड़ा सकानी |
| | नवा गाँव |
| | गड़ा कुंभारिया |
| | गोठ महूड़ी |
| | चूड़ियावाड़ा |
| | घांटा |
| | गनोरपुरा |
| | तलैया |
| | पुंजपुर |
| | वड़ौदा |
| | गोठड़ा |

# जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डूँगरपुर (राजस्थान)

## विद्यालय सूचना पत्र

(केवल प्राथमिक विद्यालयों हेतु)

1- विद्यालय परिचय :

(अ) विद्यालय का नाम –

(ब) स्थापना वर्ष –

(स) नाम ग्राम पंचायत पंचायत समिति तहसील

2- क्षेत्रीय एवं भौगोलिक स्थिति :

(अ) गाँव/शहर की दूरी किलो में

(1) पंचायत मुख्यालय से (2) जिला मुख्यालय से

(ब) क्षेत्र : (1) ग्रामीण/शहरी (2) सामान्य/जनजाति

(स) गाँव तक पहुँचने हेतु बस सुविधा है/नहीं है ।

(द) बस सुविधा नहीं हो तो निकटतम बस स्टैण्ड से पैदल मार्ग की दूरी - - - - - किमी.

(य) गाँव/शहर की जनसंख्या (1981 की जनगणनानुसार)

- - - - -

(र) गाँव/शहर में उपलब्ध सुविधाएँ : (✓ निशान टिक करें)

बिजली/टेलीफोन/जल प्रदाय योजना/चिकित्सा सुविधा/पोस्ट ऑफिस/टी0वी0

3- विद्यालयों का प्रकार एवं नियंत्रण :

(अ) विद्यालय भवन का प्रकार (✓ निशान टिक करें)

राजकीय/किराये पर/दानदाता द्वारा दिया गया ।

(ब) यदि किराये पर लिया है तो मासिक किराया एवं तिथि जब से किराये पर लिया :

4- विद्यालय भवन सम्बन्धी सूचना :

(अ) (1) विद्यालय भवन का प्रकार (✓ निशान टिक करें)

कच्चा/पक्का/आंशिक कच्चा - पक्का

(2) क्या विद्यालय परिसर के चारों ओर चाउण्ड्री बनी है ?

हाँ / नहीं

(3) यदि चाउण्ड्री है तो विवरण : (✓ निशान से टिक करें)

बाड़ की चाउण्ड्री/पत्थर के कोट की/तार की चाउण्ड्री

(ब) भवन के विभिन्न कक्षों का विवरण :

| कमरों का उपयोग | संख्या | नाप ल×चौ | कच्चा/पक्का | उपलब्ध सुविधाएँ बिजली, पंखा, श्यामपट्ट, दरी पट्टी, जाजम |
|---|---|---|---|---|
| प्रधानाध्यापक कक्ष | | | | |
| [illegible] कक्ष | | | | |
| भण्डार कक्ष | | | | |
| कक्षा - कक्ष | | | | |
| अन्य कक्ष | | | | |

(स) कमरों सम्बन्धी आवश्यकता :

(1) क्या विद्यालय में कमरे पर्याप्त हैं ? हाँ / नहीं

(2) यदि नहीं तो कितने कमरों की आवश्यकता है ? विवरण

| क्र0सं0 | कमरों का उपयोग किस कार्य हेतु होगा | संख्या | नाप |
|---|---|---|---|
| | | | |

(द) बिना श्यामपट्ट वाले कक्षा-कक्षों की संख्या:

(य) विद्यालय भवन के बरामदों का विवरण :

(1) क्या सभी कमरों के आगे बरामदा है ? हाँ / नहीं

(2) यदि नहीं तो कितने कमरों के आगे बरामदा नहीं है ।

(3) वाँछित बरामदे की लम्बाई × चौड़ाई (वर्ग फीट में)

(र) भवन की छत के बारे में जानकारी :

(1) छत पक्की है / टिन शेड है/खपरैल है ( टिक करें)

(2) वर्षा ऋतु में पानी टपकता है ? हाँ / नहीं

(ल) विद्यालय भवन से सम्बद्ध अधूरे कार्यों का विवरण

| क्र0सं0 | अधूरे कार्य का नाम एवं प्रयुक्त राशि | शेष कार्य का विवरण | निर्माण स्रोत |
|---|---|---|---|
| | | | |

§ग§ विद्यालय भूमि का कुल क्षेत्रफल — — वर्ग मीटर

§क§ §1§ खेल का मैदान उपलब्ध है ? हाँ / नहीं

§2§ यदि नहीं तो या उक्त मैदान हेतु गाँव में भूमि उपलब्ध है ? हाँ / नहीं

§ख§ विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ :

§1§ जल सुविधा : नल योजना/कुआं/हैण्डपम्प

§2§ जल संग्रह हेतु सुविधा : मटके / टंकी

§3§ मूत्रालय उपलब्ध है : हाँ / नहीं

§4§ बालिकाओं हेतु अलग से मूत्रालय है ? हाँ / नहीं

§5§ शौचालय उपलब्ध है ? हाँ / नहीं

§6§ पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या एवं रखने की सुविधा का विवरण -

------ ---------

§7§ विद्यालय में पत्र-पत्रिकाएं आती हैं ? हाँ / नहीं

§8§ पत्र-पत्रिकाएँ आती हों तो उनके नाम लिखें -

--------------------

--------------------

§9§ उपलब्ध फर्नीचर का विवरण :

§अ§

| नाम वस्तु | कुर्सी | मेज | स्टूल | जाजम | दरीपट्टियाँ | आलमारी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| संख्या | | | | | | |

§ब§ आवश्यक फर्नीचर का विवरण व संख्या -

§10§ उपलब्ध उपकरण

रेडियो/हारमोनियम/ढोलक/घड़ी/घंटी/चरखा/लोटे/ग्लास

§11§ बागवानी :

विद्यालय परिसर में पेड़ पौधों की संख्या ------

5- संस्थापन विवरण :

(अ)

| क्र0सं0 | पद | कार्यरत पुरूष | कार्यरत महिला | रिक्त | रिक्त हैं तो कब से एवं उसका कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| - | प्रधानाध्यापक | | | | |
| - | अध्यापक | | | | |
| | च0श्रे0क0 पूर्णकालीन | | | | |
| | अंशकालीन | | | | |

(ब) विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का विवरण

| क्र0सं0 | नाम अध्यापक | प्रशिक्षण क्षेत्र | प्रशिक्षण अवधि | प्रशिक्षण स्थल |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(स) उन अध्यापकों की सूची जो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं -

| क्र0सं0 | नाम अध्यापक | योग्यता | इच्छित प्रशिक्षण क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| | | | |

प्रशिक्षण क्षेत्र : विषयवस्तु/राष्ट्रीय शिक्षा नीति/ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड/ पर्यावरण शिक्षा/अनुसक्त इकाई शिक्षण/कठपुतली प्रशिक्षण/कार्यानुभव/प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा, उपरोक्त के अलावा भी हों तो लिखें।

- छात्र गोशवारा: (31 जुलाई 1990 की स्थिति पर)

| अनुसूचित जाति | | | अनु0जन जाति | | | अन्य | | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा |
| | | | | | | | | | | |

7- विद्यालय किस संगम केन्द्र से जुड़ा है -

8- विद्यालय में चलने वाली प्रवृत्तियों के नाम -

9- दान द्वारा/ जन सहयोग द्वारा कराए गए निर्माण कार्य/ प्राप्त सामग्री का विवरण -

| क्र0सं0 | कार्य ./सामग्री | अनुमानित राशि |
|---|---|---|

10- आपके विद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ (कोई तीन)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11- आपके विद्यालय की प्रमुख समस्याएँ (कोई तीन)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12- छात्रों को विद्यालय में रोकने एवं नामांकन वृद्धि हेतु आपके विद्यालय में छात्रों को दिए जाने वाले उत्प्रेरकों का विवरण :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

दिनांक -

हस्ताक्षर
(नाम संस्था प्रधान)

_____

_____

श्याम/

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


| | | |
|---|---|---|
| - | रिसर्च इन एजूकेशन : | जॉन डब्लू बेस्ट एंड जेम्स वी0 के0 प्रेन्टिस हॉल ऑफ इन्डिया प्रा0लि0 नई दिल्ली 1989 |
| - | प्राथमिक विद्यालयों में छात्रवृद्धि : प्रयत्न एवं परिणाम | राजस्थान राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर जनवरी 1976 |
| 3- | अविभक्त इकाई शिक्षण व्यवस्था-विस्तार परीक्षण एवं परिणाम | राजस्थान राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर दिसम्बर 1978. |
| 4- | अनुसंधान | राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर |
| 5- | शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर | सच्चिदानन्द डौंडियाल अरविन्द फाटक |
| 6- | अंग्रेजी हिन्दी कोष एस0चन्द एंड कम्पनी लि0 नई दिल्ली, सन् 1989. | फादर कामिल बुल्के |



Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No....D-6772
Date....31-3-92